घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 240- बुधवार 01- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सेना को मिला नया मुखिया...जनरल धीरज कुमार सेठ बने देश के 31 वें आर्मी चीफ,जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए रिटायर

नई दिल्ली,30 जून 2026। भारतीय सेना में आज एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जनरल धीरज कुमार सेठ ने आधिकारिक तौर पर देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है, जो अपनी शानदार सेवा पूरी करने के बाद आज रिटायर हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल सेठ सेना की सबसे बड़ी ट्रेनिंग अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं और साल 1986 में सेना के टैंक वाले विशेष विभाग यानी आर्मर्ड कोर में शामिल हुए थे।

चार दशकों का लंबा और बेहतरीन अनुभव

रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल सेठ का सैन्य करियर करीब चालीस साल का रहा है। इस लंबे सफर के दौरान उन्होंने सेना के कई बड़े और रणनीतिक पदों पर काम किया है। उन्हें भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को आधुनिक बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का बहुत गहरा अनुभव है। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए सेना की ताकत को बढ़ाने में हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है।

रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक संभाली कमान

अपने अब तक के करियर में जनरल धीरज कुमार सेठ ने रेगिस्तानी इलाकों में टैंकों की बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व किया है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में आतंकवाद के खिलाफ चलने वाले विशेष सैन्य बल की कमान भी संभाली है। वह दिल्ली के बड़े सैन्य अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह देश के उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं,जिन्होंने पश्चिमी सीमा पर दो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कमानों का नेतृत्व संभाला है।

विदाई पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर

आर्मी चीफ का पद छोड़ने के मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सेना की तरफ से विशेष सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके रिटायरमेंट पर सेना के अधिकारियों ने कहा कि जनरल द्विवेदी का चालीस साल से ज्यादा का सफर देश के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। उन्होंने अपने नेतृत्व से सैनिकों को हमेशा प्रेरित किया है और सेना की लगातार बदलती और मजबूत होती यात्रा पर एक गहरी छाप छोड़ी है।

नए प्रमुख की काबिलियत पर जताया भरोसा

अपनी विदाई के समय पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनरल धीरज कुमार सेठ एक बेहद अनुभवी सैनिक और बहुत काबिल लीडर हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि नए प्रमुख के नेतृत्व में हमारी सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और अनुशासन को बनाए रखते हुए सफलता के नए मुकाम हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आज जिम्मेदारी सौंपते हुए वह सेना के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

सैनिक और देश का भरोसा ही असली ताकत

जनरल द्विवेदी ने अपने विदाई संदेश में एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की असली ताकत कोई एक व्यक्ति या अधिकारी नहीं होता है। सेना की असली ताकत उसके जांबाज सैनिक, कमांडर,पूर्व सैनिक,उनके परिवार और देश की जनता का अटूट भरोसा है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले सभी शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया।

एसआईआर पर विपक्ष का हल्ला-बोल
23 पार्टियों ने CJI को लिखा पत्र, DMK और AAP के हस्ताक्षर का भी दावा

नई दिल्ली,30 जून 2026। इंडिया गठबंधन के 23 दलों ने एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर CJI को एक साझा पत्र भेजा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक में 21 पार्टियों और 1 निर्दलीय सदस्य ने हिस्सा लिया था। हालांकि,इस पत्र में क्या लिखा है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। आठ जून की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि चीफ जस्टिस को सब मिलकर पत्र लिखा जाएगा। अब मंगलवार को 23 पार्टियों और 1 निर्दलीय के हस्ताक्षर वाला यह पत्र भेज दिया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल स्त्रक्ष्य यानी एकजुटता,एकता और दृढ़ता के सिद्धांत पर मजबूती से खड़े हैं। सबसे बड़ी बात टीएमसी सासंद डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया है कि इस पत्र में डीएमके और आम आदमी पार्टी के भी सिग्नेचर हैं। बता दें कि यह मामला विपक्षी दलों की 8 जून को हुई बैठक के कुछ दिन बाद सामने आया है। उस बैठक में सभी दलों ने पांच मुद्दों पर एकमत होकर सहमति बनाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक पूरी हो गई। इसमें 25 दलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखे और आखिर में हम पांच बिंदुओं पर पूरी तरह सहमत हो गए। हमने फैसला किया है कि इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे,काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहला, ईवीएम,वोट चोरी और चुनाव में धांधली के मामले में हम भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने पर सहमत हुए हैं। यह पत्र जल्द ही उन्हें सौंप दिया जाएगा। दूसरा, हमने शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करने पर भी एकमत होकर फैसला किया है क्योंकि उन्होंने NEET और CBSE परीक्षाओं में बैठे लाखों छात्रों के साथ विश्वासघात किया है

100 साल में तीसरी बार सूखा जून
देश में 42 फीसदी कम बरसे बादल जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार

नई दिल्ली,30 जून 2026। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत बेहद सुस्त रही है। प्रशांत महासागर में हो रही हलचल की वजह से देश में इस बार जून का महीना पिछले सौ सालों में तीसरा सबसे सूखा महीना साबित होने जा रहा है। जून महीना खत्म होने को है और देश भर में सामान्य से करीब 42 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। इस सूखे मौसम के कारण किसानों के साथ-साथ आम लोग भी परेशान हैं।

पिछले सौ सालों का टूटा रिकॉर्ड

आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में अब तक देश भर में औसतन केवल 92.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि आम तौर पर इस महीने में कम से कम 157.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। अगर जून के आखिरी दिन कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो भी जाती है, तो भी यह आंकड़ा बमुश्किल 100 मिलीमीटर तक ही पहुंच पाएगा। पिछले सौ सालों के मौसम इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले साल 2009 और साल 2014 में ही जून का महीना इतना सूखा रहा था।

मध्य भारत में सबसे ज्यादा सूखा

इस बार मानसून की बेरुखी का सबसे ज्यादा असर मध्य भारत के राज्यों पर पड़ा है। मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 54 फीसदी कम पानी बरसा है। इसी तरह पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में 41 फीसदी, उत्तर-पश्चिमी भारत में 30 फीसदी और दक्षिण भारत के राज्यों में 28 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की गई है। पूरे देश में बारिश का यह ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस कम बारिश की मुख्य वजह प्रशांत महासागर में उठने वाला अल-नीनो है।

देश को बर्बाद करने के लिए कॉकरोच और वायरस जैसी पार्टियां बन रही हैं : नितिन नवीन

हैदराबाद,30 जून 2026। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां उभर रही हैं जिनका मकसद देश को बर्बाद करना है। ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं,और बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। नितिन नवीन ने कहा कि जेन जेड युवा वे हैं जो रचनात्मक रूप से अपना करियर बनाते हैं और राष्ट्रीय विकास में योगदान देते हैं, न कि वे जो देश के संविधान और संस्कृति पर सवाल उठाते हैं। तेलंगाना के तीन दिवसीय दौरे के दौरान हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान नवीन ने कहा कि देश के युवा सत्ता-विरोधी नहीं हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'जेन जेड' को लेकर काफी बहस चल रही है। लोगों ने मुझे बताया कि कुछ देशों में युवाओं ने आंदोलन किए। इन आंदोलनों को 'जेन जेड' का आंदोलन बताया जा रहा है। भारत के युवा सत्ता-विरोधी नहीं हैं। भारत के युवा देश के निर्माण के लिए काम करते हैं।'

पाकिस्तान बोला-हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे,सिंधु जल संधि अब भी लागू,भारत इसे एकतरफा खत्म नहीं कर सकता

इस्लामाबाद,30 जून 2026। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वहीं अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है। भारत इसे न तो एकतरफा स्थगित कर सकता है, न रद्द कर सकता है और न ही इसमें बदलाव कर सकता है।

सिंधु जल संधि पर सेमिनार करेगा पाकिस्तान : पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार किया जाएगा। इसमें कानूनी एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। डॉन के मुताबिक, तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी साफ कर चुके हैं कि पानी हमारी जीवनरेखा है और यह हमारी रेड लाइन भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं,इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।

आसाराम बापू को बड़ा झटका : सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी

नई दिल्ली,30 जून 2026। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अभी तत्काल जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले राजस्थान सरकार का पक्ष सुनना आवश्यक समझा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि आसाराम एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और जमानत पर निर्णय लेते समय इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसाराम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू ने उनकी 80 वर्ष से अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग की थी। वकील ने दलील दी कि आसाराम कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और 'सोशल मीडिया ट्रायल' का शिकार हुए हैं। हालांकि, पीठ ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना। जस्टिस सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि सजा को निलंबित करने या जमानत देने पर तभी विचार किया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति अत्यंत गंभीर या जानलेवा हो। कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह निर्देश भी दिया है कि आसाराम को जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं, वे निरंतर जारी रहनी चाहिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने आसाराम की खराब सेहत के दावों का खंडन किया। सरकार की ओर से बेंच को अवगत कराया गया कि आसाराम को हाल ही में 2 जून को अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उनके स्वास्थ्य परीक्षणों के बाद यह पाया गया कि उनकी स्थिति पूरी तरह स्थिर और सामान्य है। पीड़ित पक्ष के वकील ने भी 'सोशल मीडिया ट्रायल' वाली दलील को सिरे से खारिज कर दिया और अदालत को याद दिलाया कि यह मामला एक नाबालिग पीड़ित से जुड़ा है, जो न्याय के लिए लंबा संघर्ष कर रही है।

भूख हड़ताल के तीसरे दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी,जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली,30 जून 2026। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का विरोध-प्रदर्शन मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। पार्टी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के खिलाफ लंबे समय से धरने पर बैठी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने प्रदर्शन स्थल को चारों ओर से घेर लिया है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। दिपके का दावा है कि पुलिस न केवल समर्थकों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोक रही है, बल्कि परिवहन सुविधाओं को भी बाधित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे दमनकारी बताया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए इसे 'डबल इंजन-डबल लीक' करार दिया। दिपके का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार शिक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने और परीक्षाओं को निष्पक्षता से आयोजित करने में पूरी तरह विफल रही है।

सात साल बाद फिर खुला पंकज बेक कस्टोडियल डेथ केस,कोर्ट ने उठाए जांच पर सवाल....

एसपी की निगरानी में दोबारा होगी विवेचना,निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सीबीआई जांच का विकल्प भी खुला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026
(घटती-घटना)।

सात साल पुराने बहुचर्चित पंकज बेक कस्टोडियल डेथ मामले में न्यायालय के नए आदेश के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की पुनः विवेचना के निर्देश देते हुए जांच को पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कराने कहा है। अदालत ने साफ किया है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे नहीं बढ़ती या किसी स्तर पर प्रभाव की स्थिति बनती है तो मामले को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक और आईजी सरगुजा को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सात साल पुराने इस मामले में किन बिंदुओं की दोबारा जांच होगी और किन तथ्यों पर फिर से फोकस किया जाएगा।

हिरासत से मौत तक की कहानी पर उठते रहे सवाल : मामला 21 जुलाई 2019 का है। चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली पुलिस ने पंकज बेक को हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार उसे पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया था। अगले दिन उसकी मौत की खबर सामने आई। उसका शव शहर के एक निजी अस्पताल परिसर में फांसी के फंदे पर मिला था। पुलिस का उस समय दावा था कि पंकज हिरासत से निकल गया था और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। वहीं न्यायिक जांच में मौत का कारण एंटी मॉर्टम हैंगिंग बताया गया था। लेकिन मृतक के परिजनों ने पुलिस की इस कहानी पर सवाल खड़े किए थे। परिवार का आरोप था कि हिरासत के दौरान पंकज के साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इन्हीं आरोपों के चलते मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा।

निलंबन,जांच और कानूनी प्रक्रिया के बीच अटका रहा मामला : घटना के बाद तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी विनीत दुबे सहित पुलिसकर्मी प्रियेश जॉन, मनीष यादव, दीनदयाल सिंह और लक्ष्मण राम को निलंबित किया गया था। इसके बाद विभागीय जांच, आपराधिक विवेचना और न्यायिक प्रक्रियाएं चलती रहीं, लेकिन मामला किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। अब न्यायालय के आदेश ने इस पूरे प्रकरण को फिर से केंद्र में ला दिया है। अदालत के निर्देश से यह संकेत मिला है कि जांच में अब तक सामने आए सभी पहलुओं की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।

परिवार को फिर जगी न्याय की उम्मीद

मृतक पक्ष के अधिवक्ता राजवर्धन सिंह ने न्यायालय के आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लंबे इंतजार के बाद परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि पुनः विवेचना से घटना से जुड़े सभी पहलुओं की सच्चाई सामने आ सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि नई जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं और पुलिस की विवेचना किस दिशा में आगे बढ़ती है। सात साल पुराने इस मामले में अदालत के आदेश के बाद एक बार फिर न्याय की उम्मीद और जांच की पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है।

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से किया इनकार

नई दिल्ली,30 जून 2026। बिहार के चर्चित 'भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर' मामले ने एक बार फिर कानूनी बहस को जन्म दे दिया है। हाल ही में इस प्रकरण को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू शामिल थे, ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी है। कोर्ट का यह फैसला प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय पहले संबंधित क्षेत्राधिकार (हाई कोर्ट) में मामले की सुनवाई पर जोर दिया है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में बिहार पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को पूरी तरह से 'गैरकानूनी' करार दिया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील पेश की कि जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है, वह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनकाउंटर मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों का भी सीधा अवहेलना है। याचिका में स्पष्ट रूप से सीबीआई द्वारा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। इसके साथ ही, एनकाउंटर में शामिल संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया था। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने तर्क दिया कि देश के कई राज्यों में इस तरह की कथित फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती रही हैं और ऐसे मामलों में केंद्रीय एजेंसी की जांच आवश्यक है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पहले भी ऐसे ही कई लंबित मामलों का हवाला देकर कोर्ट को मामले की गंभीरता से अवगत कराने का प्रयास किया।

न्यायिक प्रक्रिया और हाई कोर्ट की भूमिका का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेजने का निर्णय लेते हुए न्यायिक पदानुक्रम और प्रक्रिया की शुचिता को रेखांकित किया है। कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को हाई कोर्ट भेजने का मतलब यह नहीं है कि मामले की गंभीरता को कम आंका गया है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय स्तर पर जांच की शुरुआत होनी चाहिए। पटना हाई कोर्ट के पास राज्य से जुड़े ऐसे मामलों की सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। एनकाउंटर जैसे गंभीर विषयों में पहले हाई कोर्ट द्वारा मामले की निगरानी करना एक स्थापित कानूनी प्रक्रिया है, जिससे निचली अदालतों और राज्य की मशीनरी को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

संपादकीय

देर के साथ अंधेर भी...

यह संतोषजनक कम,आश्चर्यजनक अधिक है कि श्रीनगर के सरकारी अस्पताल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में 35 वर्ष बाद आतंकी सरगना यासीन मलिक और उसके साथियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। यासीन मलिक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ का प्रमुख है।

सरला भट्ट की बर्बर हत्या कश्मीर में आतंक से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक घटना थी, जिसने घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को हवा दी थी। इस मामले में इतने लंबे समय बाद आरोप पत्र दाखिल करने की नौबत आना यही बताता है कि अपने देश में किस तरह कुछ संगीन मामलों में भी आवश्यकता से अधिक देर होती है। जब आतंकवाद से जुड़े गंभीर मामलों में भी ऐसा होता है तो न केवल पीड़ितों के बीच निराशा घर करती है,बल्कि आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता को लेकर भी सवाल उठते हैं। समझना कठिन है कि करीब तीन दशक से भी अधिक समय तक किसी ने इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी कि सरला भट्ट को न्याय मिले?

सरला भट्ट का प्रकरण पहला ऐसा मामला नहीं, जिसमें दोषियों को कठघरे में खड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इतनी देर हुई हो कि उसे अंधेर कहा जा सकता है। इस तरह के और भी अनेक मामले हैं,जिनमें कश्मीरी पंडितों को आतंकित करने और उन्हें पलायन के लिए विवश करने वाली हत्या और हिंसा की घटनाओं की अनदेखी की गई हो। इस अनदेखी में जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ तत्कालीन केंद्र सरकारों की भूमिका रही।

एक पीड़ादायक तथ्य यह भी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहकर कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामलों की जांच-पड़ताल की जरूरत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। आखिर जब अन्य मामलों की जांच-पड़ताल दशकों बाद होने के प्रसंग सामने आ चुके हों तब फिर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भीषण अत्याचारों के मामलों की जांच में संवेदहीनता क्यों दिखाई गई?

अफसोस की बात केवल यह नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों की अनदेखी हुई और उन्हें न्याय देने की वैसी कोई ठोस पहल नहीं हुई,जैसी अपेक्षित थी,बल्कि यह भी है कि यासीन मलिक जैसे जो आतंकी तत्व इन अत्याचारों के लिए उत्तरदायी थे,उनके खिलाफ सख्ती दिखाने और उन्हें न्याय के कठघरे में खड़ा करने से इन्कार किया गया।

इससे भी खराब बात यह हुई कि कश्मीर समस्या के समाधान में कथित तौर पर सहायक मानकर उन्हें गांधीवादी करार दिया गया। यासीन मलिक के मामले में तो ऐसा तब किया गया, जब उस पर वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या का आरोप था। ये हत्याएं भी 1990 में की गई थीं। यह अच्छी बात यह है कि इस मामले में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो देरी हुई, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

कल्पक्कम : जहाँ भविष्य का ईंधन आकार ले रहा...

भारत का स्वदेशी नवाचार,दुनिया के लिए नई ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा का नया अवतार अब बिजली नहीं, हाइड्रोजन बनेगी

प्रो.आर.के.जैन
बड़वानी, मध्यप्रदेश

जब कोई राष्ट्र नई तकनीक नहीं,बल्कि नई दिशा गढ़ता है, तभी इतिहास करवट लेता है। 26 जून 2026 को कल्पक्कम ने भारत को ऐसा ही गौरवशाली क्षण दिया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) में विश्व के पहले तांबा-क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कर ऊर्जा विज्ञान की स्थापित धारणाओं को नई चुनौती दी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) की न्यूक्लियर प्रोसेस हीट से संचालित यह संयंत्र पारंपरिक इलेक्ट्रोलिसिस आधारित प्रणालियों से पूरी तरह भिन्न है। इसकी नींव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की स्वदेशी तकनीक और आईजीसीएआर की फास्ट रिएक्टर विशेषज्ञता पर टिकी है। यह उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी परिवर्तन का सहभागी नहीं, उसका पथप्रदर्शक बनने की क्षमता हासिल कर चुका है।

ऊर्जा का भविष्य केवल अधिक उत्पादन में नहीं,बेहतर तकनीक में छिपा है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया अब तक महंगे और बिजली-आधारित इलेक्ट्रोलिसिस मॉडल पर निर्भर रही, लेकिन कल्पक्कम ने यह समीकरण बदल दिया। भारत ने तांबा-क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र के माध्यम से लगभग 500-550 डिग्री सेल्सियस के अपेक्षाकृत कम तापमान पर अधिक ऊर्जा दक्ष और कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। यह तापमान अन्य थर्मोकेमिकल चक्रों (जैसे सल्फर-आयोडीन) की तुलना में काफी कम है,जिससे यह न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ बेहतर अनुकूल है। इस प्रक्रिया में एफबीटीआर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है,वह भी बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के। डॉ. अजित कुमार मोहंती के नेतृत्व में स्थापित यह पायलट संयंत्र परमाणु ऊर्जा की भूमिका को नई परिभाषा देता है। अब परमाणु रिएक्टर केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य के सबसे स्वच्छ ईंधन के स्रोत भी बनेंगे। यही दूरदृष्टि भारत को वैश्विक ऊर्जा अनुसंधान की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है।

कल्पक्कम की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी तकनीक नहीं,उसकी स्वदेशी पहचान है। तांबा-क्लोरीन प्रक्रिया का विकास बार्क(बीएआरसी) ने किया और उसे व्यवहारिक रूप आईजीसीएआर ने दिया। भारत का एकमात्र सक्रिय फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) अब केवल बिजली ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन का भी स्रोत बन चुका है। इससे भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई प्रासंगिकता और व्यापक आयाम मिला है। लंबे समय तक दुनिया भारत को परमाणु तकनीक का उपभोक्ता मानती रही, लेकिन कल्पक्कम ने यह धारणा बदल दी। भारत ने साबित कर दिया है कि वह तकनीक का आयातक नहीं,वैश्विक नवाचार का निर्माता भी बन सकता है। वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का यही वास्तविक अर्थ है–समाधान अपनी प्रयोगशालाओं में गढ़ना और दुनिया को नई राह दिखाना।

हरित ऊर्जा की असली कसौटी केवल स्वच्छ होना नहीं, हर पल उपलब्ध रहना भी है। सौर और पवन ऊर्जा पर्यावरण के लिए वरदान हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीमा मौसम पर निर्भरता है। परमाणु ऊर्जा इस बाधा से मुक्त है। इसलिए कल्पक्कम की यह तकनीक चौबीसों घंटे, वर्षभर कार्बन-मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है। इसका सबसे बड़ा लाभ इस्पात,उर्वरक,रसायन उद्योग और भारी परिवहन जैसे उन क्षेत्रों को मिलेगा,जहाँ कार्बन उत्सर्जन घटाना अब तक कठिन चुनौती रहा है। इन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में यह तकनीक निर्णायक साबित हो सकती है। साथ ही,यह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत वैज्ञानिक आधार देगी। स्वच्छ, सस्ती और निरंतर ऊर्जा ही हरित अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार दे सकती है।

इतिहास रचना कठिन है, लेकिन उसे स्थायी परिवर्तन में बदलना उससे भी बड़ी चुनौती है। कल्पक्कम का यह संयंत्र अभी पायलट स्तर पर है, किंतु इससे प्राप्त अनुभव और आँकड़े भविष्य के वाणिज्यिक संयंत्रों की आधारशिला बनेंगे। यह प्रति घंटे सीमित मात्रा (लगभग 150 नॉर्मल लीटर पर आवर हाइड्रोजन) वाला टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर है, जिससे प्राप्त अनुभव बड़े वाणिज्यिक संयंत्रों (जैसे 3000 नॉर्मल लीटर पर आवर या अधिक) की नींव बनेगा। उत्पादन क्षमता का विस्तार,क्लोरीन का सुरक्षित प्रबंधन,अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन और पर्याप्त निवेश जैसी चुनौतियाँ अभी शेष हैं। फिर भी अंतरिक्ष से लेकर परमाणु विज्ञान तक भारत के वैज्ञानिक बार-बार सिद्ध कर चुके हैं कि सीमित संसाधन उनकी उड़ान को रोक नहीं सकते। इसलिए यह विश्वास पूरी तरह उचित है कि कल्पक्कम की यह शुरुआत आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उद्योग की नई क्रांति का आधार बनेगी।

कल्पक्कम की यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं,भारत के रणनीतिक भविष्य की आधारशिला है। बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी,जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में भारत की वैश्विक भूमिका भी अधिक प्रभावशाली बनेगी। आने वाले वर्षों में भारत ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख निर्यातक देशों में स्थान बना सकता है। यह उपलब्धि एक साथ ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु न्याय और आर्थिक आत्म निर्भरता–तीनों राष्ट्रीय लक्ष्यों को नई शक्ति देती है। साथ ही, नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने की गति तेज होगी और युवा वैज्ञानिकों का यह विश्वास भी मजबूत होगा कि विश्व-स्तरीय नवाचार भारत की प्रयोगशालाओं में भी जन्म ले सकते हैं।इतिहास बनाने का गौरव मिल चुका है, अब उसे भविष्य की ताकत में बदलना शेष है। इसके लिए दूरदर्शी नीतियाँ,निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी, निरंतर अनुसंधान और दीर्घकालिक निवेश निर्णायक होंगे। यदि ये चारों आधार मजबूत रहे, तो 2030 तक भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व स्थापित कर सकता है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

661 करोड़ का सवाल : जवाबदेही किसकी?

सत्यवान सौरभ
भिवानी, हरियाणा

हरियाणा में सामने आए 661 करोड़ रुपये के कथित आई डी एफ सी बैंक प्रकरण ने केवल एक वित्तीय अनियमितता के आरोपों को जन्म नहीं दिया है,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही,वित्तीय अनुशासन,संस्थागत पारदर्शिता और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। समाचारों के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जांच एजेंसियाँ सक्रिय हैं,कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा कुछ ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाएँ दायर की हैं। ऐसे में यह प्रकरण केवल किसी बैंक,किसी विभाग या किसी अधिकारी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढाँचे की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप तब तक केवल आरोप ही माने जाते हैं,जब तक सक्षम न्यायालय उन्हें प्रमाणित न कर दे। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार देता है। इसलिए किसी भी आरोपी को दोषी मान लेना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। दूसरी ओर, यदि सार्वजनिक धन से जुड़ी इतनी बड़ी राशि के संबंध में गंभीर आरोप सामने आते हैं,तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच भी उतनी ही आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए,बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।

यह कथित घोटाला इसलिए अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकारी धन के प्रबंधन पर प्रश्न उठे हैं। सरकारी धन वास्तव में जनता का धन होता है। यह वह राशि है जो नागरिक करों के माध्यम से सरकार को देते हैं ताकि उसका उपयोग शिक्षा,स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण,ग्रामीण विकास, सिंचाई,सड़क,रोजगार और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर किया जा सके। यदि ऐसे धन के उपयोग या संरक्षण में किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है,तो उसका प्रभाव केवल सरकारी खातों तक सीमित नहीं रहता,बल्कि शासन के प्रति जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। समाचारों के अनुसार इस मामले में सरकारी विभागों के बैंक खाते,निजी बैंक में धन जमा कराने की प्रक्रिया,प्रशासनिक स्वीकृतियाँ और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका जैसे अनेक प्रश्न जांच के दायरे में हैं। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों की अनदेखी हुई,तो जिम्मेदारी तय होना स्वाभाविक होगा। यदि आरोप असत्य सिद्ध होते हैं,तब भी यह जानना आवश्यक होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनीं जिनसे इतने बड़े स्तर पर संदेह उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्थितियों में व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सर्वोच्च सिविल सेवाओं में मानी जाती है। आईएएस अधिकारी केवल शासन चलाने वाले अधिकारी नहीं होते, बल्कि वे संविधान के मूल्यों के संरक्षक भी माने जाते हैं। जनता उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी और निर्णय क्षमता पर विश्वास करती है। इसलिए जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम किसी वित्तीय विवाद में सामने आता है, तो उसकी प्रतिध्वनि पूरे प्रशासनिक तंत्र में सुनाई देती है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता इसलिए भी आवश्यक हो जाती है ताकि ईमानदार अधिकारियों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे और दोषी व्यक्ति कानून से बच न सके।

यह मामला प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। किसी सरकारी खाते को किसी विशेष बैंक में खोलने या बड़ी राशि जमा कराने का निर्णय क्या केवल एक अधिकारी का होता है? सामान्यतः ऐसे निर्णयों में अनेक स्तरों पर स्वीकृतियाँ, वित्तीय नियम,विभागीय प्रक्रियाएँ और लेखा प्रणाली शामिल होती हैं। यदि इन सभी स्तरों के बावजूद कोई कथित अनियमितता संभव हुई, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं संस्थागत नियंत्रण कमजोर रहा। इसलिए केवल व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा;पूरी प्रणाली की समीक्षा आवश्यक होगी।

आज भारत डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली,ई-ऑफिस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन लेखांकन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य ही यह है कि वित्तीय अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो। यदि इतने बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ी की आशंका सामने आती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या उपलब्ध तकनीकी प्रणालियों का सही उपयोग हुआ? क्या समय पर ऑडिट किया गया? क्या किसी ने असामान्य लेन-देन पर ध्यान नहीं दिया? क्या आंतरिक चेतावनी तंत्र प्रभावी नहीं था?

सरकारी विभागों में आंतरिक ऑडिट व्यवस्था का उद्देश्य केवल लेखा परीक्षण करना नहीं होता,बल्कि संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना भी होता है। यदि करोड़ों रुपये का लेन-देन लंबे समय तक बिना किसी प्रभावी आपत्ति के चलता रहा, तो यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत विफलता भी मानी जाएगी। इसलिए इस प्रकरण से सीख लेकर ऑडिट व्यवस्था को अधिक सक्षम और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी बड़े मामले की जांच होती है,तब जनता केवल परिणाम नहीं देखती बल्कि पूरी प्रक्रिया पर भी नजर रखती है। जांच निष्पक्ष हो,तथ्यों पर आधारित हो और किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त दिखाई दे–यही उसकी सबसे बड़ी विश्वसनीयता है। यदि जांच एजेंसियों पर विश्वास कमजोर होता है,तो न्याय व्यवस्था की साख भी प्रभावित होती है।

मीडिया की भूमिका भी ऐसे मामलों में अत्यंत संवेदनशील होती है। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व सूचना देना और प्रश्न पूछना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को न्यायालय से पहले दोषी घोषित करना उचित नहीं है। मीडिया ट्रायल कई बार न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और समाज में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है। इसलिए समाचारों की प्रस्तुति तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।

इस प्रकरण ने सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए हैं। क्या सरकारी विभागों के बैंक खातों के संचालन के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है? किन परिस्थितियों में सरकारी राशि निजी बैंक में रखी जा सकती है? क्या इसके लिए विशेष अनुमति आवश्यक होती है? क्या संबंधित विभागों ने सभी वित्तीय नियमों का पालन किया? यदि किया, तो वे दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यदि नहीं किया गया, तो जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। प्रशासनिक नैतिकता केवल कानून का पालन करने तक सीमित नहीं होती। नैतिक प्रशासन का अर्थ है कि प्रत्येक निर्णय में सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहे। संविधान के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही प्रशासनिक सेवा की आधारशिला हैं। यदि इन मूल्यों से समझौता होता है, तो केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है।

बंदर-बांट (अफसाना)

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

संस्कारों की नींव और त्याग का मौन सफर...

उस बड़े से पुश्तैनी ज़मीन की में अगर किसी का पसीना और त्याग छुपा था, तो वह सिर्फ़ बड़ा भाई था। पिता के जाने के पहले भी और बाद भी,तीन भाइयों और तीन बहनों के इस भरे-पूरे कुनबे की क़श्ती को उसने अकेले अपने कंधों पर खेया था। लेकिन अफ़सोस किसी को कुछ भी याद नहीं रहा,उसके हिस्से की सुबह कभी आराम की नहीं रही। उसके भीतर अच्छे संस्कारों की एक ऐसी गहरी नदी बहती थी, जो अपनों की कड़वाहट को भी पी जाती थी। उसके लिए फ़र्ज़ कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक इबादत थी। उसने अपने तमाम फ़र्ज़ को बख़ूबी निभाया,लेकिन वक़्त गवाह है कि जब इंसान दूसरों के लिए ख़ुद को मोमबत्ती की तरह पिघलाता है,तो लोग अक्सर उसकी रोशनी का फ़ायदा तो उठाते हैं,पर उसके वजूद के खत्म होने की परवाह नहीं करते।

बड़े भाई की शादी के बाद,घर का माहौल अचानक बदलने लगा। जो भाई-बहन कल तक उसके साए में पले थे,आज उनकी आँखों में ज़हरीला लालच साफ़ दिखने लगा था। एक काली रात ऐसी आई जब साजिशों की दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि बड़े भाई को अपनी ही मेहनत से सींचे गए घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बेरुख़ी और बद-नीयती की हद तो यह थी कि विदा करते वक्त उसे उसकी शादी का दहेज,यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़रूरत का छोटा-मोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया गया। वह भरी आँखों से अपनी शरीक-ए-हयात (पत्नी) का हाथ थामे,बिना कोई शिक़वा किए,सूनी सड़क पर आकर खड़ा हो गया। जेब ख़ाली थी,लेकिन सीने में ख़ुद्दारी और पाकीज़ा नीयत का समंदर था।

उसने शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन को रात और रात को दिन किया। मलबे से इमारत खड़ी करने की जिद थी उसकी। उसने अपनी ईमानदारी और हलाल की कमाई से अपनी नई गृहस्थी का तिनका-तिनका जोड़ा। मुश्किल वक्त था,पर उसने अपने बच्चों की आँखों में कभी बेबसी नहीं आने दी। तंग-दस्ती (ग़रीबी) के दिनों में भी उसने भूखे पेट रहकर बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस भरी और उन्हें आला तालीम (उच्च शिक्षा) दिलवाई। वक्त ने करवट बदली,बच्चे बड़े होकर ऊंचे ओहदों पर पहुंचे,और बड़े भाई के आंगन में बरकत और मान-सम्मान की बहार लौट आई।

इधर पुश्तैनी मकान में सन्नाटा था। जब माँ और बाकी भाई-बहनों ने देखा कि जिस बड़े भाई को उन्होंने रास्ते पर छोड़ दिया था,वह अपनी मेहनत से एक पुर-सुकून और आलीशान जिंदगी जी रहा है,तो उनके भीतर का सोया हुआ लालच फिर से करवटें लेने लगा। उन्होंने बड़े भाई के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। चेहरे पर पछतावे का झूठा मुखौटा था और ज़ुबान पर मक्कारी की मिठास। बड़ा भाई तो पैदाइशी नर्म दिल का था। उसने अपनों के बदले हुए तेवरों के पीछे छिपी बद-नीयत को भांपने के बजाय, उन्हें गले से लगा लिया। उसे लगा कि शायद अपनों का दिल पिघल गया है। लेकिन अफ़सोस, वे उसका हाल पूछने नहीं,बल्कि उसकी तरक़्क़ी से जलने और अपनी नई साज़िशों का ताना-बाना बुनने आए थे। उसकी इसी नर्म-दिली का उन्होंने बेहद बेरहमी से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया।

अब असली खेल शुरू हुआ पैतृक प्रॉपर्टी (पुश्तैनी ज़ायदाद) का। तीनों बहनों के पतियों (बहनोइयों) ने मिलकर एक ऐसी चाल चली, जिसमें उन्होंने छोटे भाइयों को मोहरा बनाया। उन्होंने छोटे भाइयों के कान भरे–अगर बड़े भाई का दख़ल रहा,तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लालच अंधा होता है;छोटे भाई और यहाँ तक कि खुद माँ भी उन बहनोइयों के झांसे में आ गए। ममता की मूरत कही जाने वाली माँ, जिसे इस मोड़ पर सबसे बड़ा इंसाफ़-पसंद होना चाहिए था,वह भी बड़े बेटे की बरसों की मख़लूस (सच्ची) मोहब्बत,उसकी कुर्बानियों और उस पर हुए ज़ुल्मों को भूलकर बेईमानी की राह पर चल पड़ी। सबने मिलकर कागज़ात तैयार करवाए और बड़े भाई को पुश्तैनी जायदाद से हमेशा के लिए बेदख़ल कर दिया। यहां तक कि उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी ने भी हिस्सा मांगने लगे, इसके बाद उस घर में वह बंदर-बांट हुई जिसे देखकर इंसानियत का कफ़न भी कांप जाए। बहनोइयों ने अपनी मीठी बातों और मक्क़ारी के जाल में माँ और छोटे भाइयों को ऐसा उलझाया कि धीरे-धीरे चालाकी से पूरी प्रॉपर्टी,दुकान, और ज़मीन सीधे अपने और अपनी पत्नियों (बहनों) के नाम करवा ली। छोटे भाई इस गुमान में ताली बजाते रहे कि बड़े भाई का पत्ता कट गया,पर वे यह नहीं समझ पाए कि वे खुद उस डाल को काट रहे हैं जिस पर वे बैठे थे। जब कागज़ी कार्रवाई पूरी हो गई,तो बहनोइयों ने अपने असली रंग दिखाए। उन्होंने छोटे भाइयों को दूध में से मख़्खी की तरह निकाल फेंका। छोटे भाइयों ने जब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, तो उन्हीं बहनोइयों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया। जिस बड़े भाई से वे सालों तक लड़े,जिसके खिलाफ़ ज़हर उगला,आज उसकी अहमियत उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे अपने ही लालच की आग में जलकर उस बंदर-बांट का शिकार हो चुके थे और अब पूरी तरह ख़ाली हाथ,सड़क पर थे।

माँ,जिसने अपने बड़े बेटे से दग़ा किया था,आज उसी की बेटियाँ और बहनोई सारी प्रॉपर्टी हथिया कर मालिक बन बैठे थे और माँ एक कोने में बैठकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी।

इस पूरे शोर-शराबे और तमाशे से कोसों दूर,बड़ा भाई शाम के वक़्त अपने आलीशान मकान के बगीचे में बैठा था ,वो कर भी क्या सकता था,मगर वो ख़ुश था,उसके पास उसके संस्कारी बच्चे थे,पत्नी का अटूट साथ था और सबसे बड़ी बात,उसके सीने में एक साफ़ और बेदाग दिल था। उसे पुश्तैनी बंटवारे के खोने का कोई मलाल नहीं था।

उसने डूबते हुए सूरज को देखा और गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा,ईंट-पत्थरों के मकान, ज़मीन के टुकड़े और तिजोरियाँ तो छल-कपट से जीती जा सकती हैं और बांटी जा सकती हैं...पर दिल का सुकून, मुक़द्दर की तहरीर और नीयत की बरक़त को कोई कैसे बांट सकता है?

रिश्तों की बेईमानी ने उन सबको दुनिया की नज़र में अमीर तो बना दिया था, पर अंदर की रूह से वे हमेशा के लिए कंगाल हो चुके थे। वहीं बड़ा भाई अपनी खुद की कमाई और सन्तुष्टि के साम्राज्य का बेताज बादशाह था।

वह लड़की जो खबर बन गई

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

शहर में उस सुबह अजीब हलचल थी। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। अखबारों के बंडल खुल रहे थे। मोबाइलों की स्क्रीनें चमक रही थीं। हर तरफ एक ही खबर थी, लेकिन किसी को पूरी खबर मालूम नहीं थी। बस इतना पता था कि कोई लड़की खबर बन गई है। कौन थी, कहाँ की थी, उसके साथ क्या हुआ,यह किसी को ठीक से नहीं मालूम था। फिर भी सब विशेषज्ञ बने बैठे थे। चायवाले रामू ने कप धोते हुए पूछा, कौन थी वह लड़की? सामने बैठे बाबूजी बोले,अरे, कोई होगी। आजकल तो रोज कोई न कोई खबर बन जाती है। एक ग्राहक हँसा, हमारे देश में आदमी पैदा बाद में होता है, खबर पहले बन जाता है। सब हँस दिए। अखबार मेज पर पड़ा था, जैसे किसी की लाश चौराहे पर पड़ी हो और लोग उसके जूतों का ब्रांड देख रहे हों। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उसने काँपते हाथों से अखबार उठाया और देर तक तस्वीर को देखती रही। उसकी आँखें भर आईं। रामू ने पूछा,अम्मा, जानती हो क्या उसे? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। बोली,नहीं बेटा,मैं उसे नहीं जानती। लेकिन उसके आँसू मेरी उम्र के लगते हैं। लोग चुप हो गए। फिर किसी ने बात बदल दी। हमारे समाज में दुख से ज्यादा असुविधाजनक कोई विषय नहीं होता। यहाँ आदमी शोक से नहीं, शोक की अवधि से परेशान होता है। उधर खबर फैलती जा रही थी। शहर में हर कोई लड़की के बारे में बात कर रहा था। केवल लड़की ही कुछ नहीं बोल रही थी। शायद इसलिए कि खबरों की दुनिया में पात्रों की नहीं,शीर्षकों की आवाज सुनी जाती है।

दोपहर तक टीवी चैनल सक्रिय हो गए। स्टूडियो सज गए। बहस शुरू हो गई। एंकर गरजा,देश जानना चाहता है कि दोषी कौन है। ऐसा लगा जैसे देश अभी तक छुट्टी पर था और एंकर ने उसे जगाया हो। स्क्रीन पर आठ खिड़कियाँ खुलीं। आठ चेहरे दिखाई दिए। नौवाँ चेहरा उस लड़की का होना चाहिए था, लेकिन वह कहीं नहीं थी। एक नेता बोले,यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दूसरे नेता बोले,यह विपक्ष की विफलता है। तीसरे नेता बोले,यह सत्ता की विफलता है। एक विशेषज्ञ ने चश्मा ठीक करते हुए कहा,हमें सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। एंकर चिल्लाया,समय कम है,चिंतन बाद में कीजिए। पूरे देश में लोग टीवी देख रहे थे। किसी ने कहा, कितना दर्दनाक है। और अगले ही क्षण चैनल बदलकर क्रिकेट देखने लगा। दर्द भी अब विज्ञापन ब्रेक की तरह हो गया था। आता है,चला जाता है। उसी शाम शहर की दीवारों पर पोस्टर लग गए। मोमबत्तियाँ बिकने लगीं। भाषणों की तैयारी होने लगी। एक दुकानदार मुस्कराकर बोला,भाई साहब,इस बार वाली घटना में बिक्री अच्छी रहेगी। ग्राहक ने पूछा,किस चीज की? दुकानदार बोला, संवेदनाओं की। ग्राहक ने सोचा वह मजाक कर रहा है। लेकिन दुकानदार गंभीर था। वह जानता था कि इस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर किसी चीज का होता है तो वह अवसरवाद का होता है। उधर लड़की अब भी खबर बनी हुई थी। लोग उसका नाम भूल चुके थे। खबर का नाम याद था।

शाम को शहर के मुख्य चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर दुख का मेकअप था। संचालक ने कहा,हम उस बेटी को न्याय दिलाएँगे। भीड़ ने ताली बजाई। यह अजीब था। शोक सभा में तालियाँ बज रही थीं। जैसे समाज ने दुख को भी कार्यक्रम बना दिया हो। तभी पीछे खड़े एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, यह बेटी कौन थी? पिता ने कहा, मालूम नहीं। बच्चे ने फिर पूछा, तो सब रो क्यों रहे हैं? पिता ने जवाब दिया,क्योंकि कैमरे लगे हैं। यह सुनकर पास खड़े कुछ लोग मुस्करा दिए। मंच से भाषण जारी थे। कोई संस्कृति बचा रहा था। कोई राजनीति चमका रहा था। कोई नैतिकता बेच रहा था। लड़की हर भाषण में मौजूद थी,लेकिन इंसान के रूप में नहीं, सामग्री के रूप में। वह एक सीढ़ी बन गई थी। जिस पर चढ़कर लोग अपनी ऊँचाई नाप रहे थे। तभी सभा के पीछे एक अजनबी अधेड़ दिखाई दिया। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। वह चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आँखों में ऐसा दुःख था जो अभिनय नहीं कर सकता था। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा,मैं उसे जानता था। सब चौंक गए। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो लड़की को सचमुच जानता था। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ पूछते, वह भीड़ में गायब हो गया। रहस्य और गहरा गया।

अगले दिन पूरा शहर उस अधेड़ को खोज रहा था। पत्रकार उसे ढूँढ़ रहे थे। पुलिस उसे ढूँढ़ रही थी। नेता उसे ढूँढ़ रहे थे। क्योंकि अब लड़की से ज्यादा महत्वपूर्ण वह अधेड़ हो गया था। समाज का ध्यान अक्सर घाव से ज्यादा पट्टी पर चला जाता है। शाम को वह अधेड़ एक पुराने बस स्टैंड पर मिला। पत्रकारों ने उसे घेर लिया। एक ने पूछा, क्या वह आपकी बहन थी? अधेड़ ने न में सिर हिलाया। दूसरे ने पूछा,क्या वह आपकी मित्र थी?उसने फिर से न में सिर हिलाया। तीसरे ने पूछा, तो आपका उससे रिश्ता क्या था? अधेड़ कुछ देर चुप रहा। फिर बोला,हाँ रिश्ता था। लोग हैरान रह गए। पत्रकार ने कहा,समझे नहीं। अधेड़ की आँखें भर आईं। उसने कहा,जब दुनिया उसे खबर बना रही थी, तब मैं उसे इंसान की तरह याद कर रहा था। यही रिश्ता था मेरा उससे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि लड़की को किताबें पसंद थीं। उसे बारिश में भीगना पसंद था। उसे माँ के हाथ की खिचड़ी पसंद थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी। वह हँसती थी तो लगता था जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश हुई हो। लोग स्तब्ध थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे खबर कह रहे थे, वह एक पूरी दुनिया थी। एक सपना थी। एक जीवन थी। लेकिन समाज को जीवन से ज्यादा खबरें पसंद हैं। क्योंकि खबरें पढ़ी जाती हैं, जीवन समझना पड़ता है।

तीसरे दिन पुलिस ने घोषणा की कि मामला लगभग सुलझ चुका है। शहर ने राहत की साँस ली। लोगों को लगा कि अब वे सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। जैसे दुख कोई अस्थायी ट्रैफिक जाम हो। उसी रात वही अधेड़ फिर दिखाई दिया। इस बार वह सीधे शहर के प्रेस क्लब पहुँचा। पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

–सम्पादक

CMYK

रामगढ़ महोत्सव का भव्य समापन,मुख्यमंत्री ने दी विकास की सौगात

रामगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व पहचान दिलाने का संकल्प,विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा...

संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ में आयोजित दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का समापन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को छत्तीसगढ़ की संस्कृति,इतिहास,साहित्य और प्राकृतिक विरासत का उत्सव बताते हुए क्षेत्र के विकास और पर्यटन विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं,बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सीताबेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा,प्राचीन शिलालेख और हाथीपोल जैसी धरोहरें छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पहचान हैं। उन्होंने कहा कि सीताबेंगरा गुफा प्राचीन नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध है,वहीं जोगीमारा गुफा की भित्तिचित्र कला और शिलालेख क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। महाकवि कालिदास की रचना 'मेघदूतम्' से भी रामगढ़ का संबंध माना जाता है।

रामगढ़ विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा...

मुख्यमंत्री श्री साय ने रामगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर उदयपुर एवं डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामगढ़ सहित प्रदेश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें।

सरकार की योजनाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा जिले में पिछले ढाई वर्षों में 2387 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने किसानों,महिलाओं, आवास, तीर्थ दर्शन और युवाओं के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान मूल्य और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लाभ दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है।

6 पहाड़ी कोरवा बच्चों का कराया शाला प्रवेश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के 6 बच्चों का शाला प्रवेश कराया। उन्होंने बच्चों को अध्ययन सामग्री देकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। वहीं सरगुजा के पर्यटन स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले टूरिज्म इन्फ्लूएंजर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मंत्रियों ने भी बताई महत्ता...

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ महोत्सव संस्कृति,लोककला और परंपराओं के संरक्षण का माध्यम है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि रामगढ़ ऐतिहासिक,पौराणिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। समापन समारोह में जनप्रतिनिधि,अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

रामगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की उम्मीद

रामगढ़ महोत्सव ने एक बार फिर सरगुजा की ऐतिहासिक पहचान को सामने रखा है। अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि विकास घोषणाओं के साथ रामगढ़ में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा और यह स्थल राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाएगा।

रामगढ़ महोत्सव में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने देखी हजारों साल पुरानी विरासत,बोले...संस्कृति, इतिहास और पर्यटन का अद्भुत संगम है रामगढ़

सीताबेंगरा गुफा,जोगीमारा शिलालेख और हाथीपोल का किया अवलोकन,संरक्षण और पर्यटन विकास पर दिया जोर...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026
(घटती-घटना)।
सरगुजा की ऐतिहासिक धरती पर स्थित रामगढ़ एक बार फिर संस्कृति,साहित्य, पुरातत्व और पर्यटन के केंद्र में रहा। रामगढ़ महोत्सव-2026 के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध सीताबेंगरा गुफा सहित जोगीमारा गुफा, प्राचीन शिलालेख और प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना,कला और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यहां संस्कृति, इतिहास, साहित्य और पर्यटन का ऐसा संगम दिखाई देता है, जो इसे देश-दुनिया में अलग पहचान देता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम,पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

प्राचीन नाट्यशाला ने खींचा मुख्यमंत्री का ध्यान

रामगढ़ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर स्थित सीताबेंगरा गुफा को भारतीय रंगमंच इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है। लगभग 44 फीट लंबी इस गुफा में प्राकृतिक रंगमंच जैसी संरचना मौजूद है, जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशालाओं में गिना जाता है। मुख्यमंत्री ने यहां की स्थापत्य विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसी धरोहरें हमारी पहचान और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य निधि हैं, जिनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।

जोगीमारा गुफा और शिलालेख भी बने आकर्षण का केंद्र

मुख्यमंत्री ने जोगीमारा गुफा का भी निरीक्षण किया, जहां प्राचीन भित्तिचित्र और शिलालेख इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहां तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की कला परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। रामगढ़ का संबंध साहित्य जगत से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने इसी क्षेत्र में अपनी प्रसिद्ध रचना 'मेघदूतम' की रचना की थी। इसी स्मृति को जीवंत रखने के लिए आषाढ़ के प्रथम दिवस पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

हाथीपोल: प्रकृति की अद्भुत संरचना : रामगढ़ की प्राकृतिक पहचान हाथीपोल भी है। लगभग 180 फीट लंबी और 15 से 20 फीट ऊंची यह प्राकृतिक सुरंग वर्षों के जल प्रवाह से बनी अनूठी संरचना मानी जाती है। यह सुरंग पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से इसका जुड़ाव इस पूरे क्षेत्र को ऐतिहासिक और रहस्यमयी महत्व प्रदान करता है।

पर्यटन विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार की उम्मीद : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ जैसे स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने से देश-विदेश के पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि रामगढ़ में बेहतर सड़क, सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि यह स्थल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके।

राम वाटिका में मुख्यमंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा : रामगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस स्थित 'राम वाटिका' में भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने 'एक पेड़ माँ के नाम-3.0' अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान मातृशक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां के नाम लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य की नींव बनेगा। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा, सत्य, त्याग और कर्तव्य का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से सेवा, सद्भाव और समर्पण के भाव के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

अब जरूरत है रामगढ़ को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की

रामगढ़ महोत्सव ने एक बार फिर इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को सामने ला दिया है। हजारों वर्षों पुरानी गुफाएं, शिलालेख, साहित्यिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य इसे छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। अब स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि सरकारी घोषणाओं के साथ-साथ धरातल पर सुविधाओं का विस्तार हो, ताकि रामगढ़ केवल महोत्सव तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे वर्ष पर्यटकों की पहली पसंद बन सके।

खैरबार में दंतैल हाथी का आतंक : रात में आबादी के बीच पहुंचा,बाउंड्री वॉल तोड़ी,फसलें रौंदी

ग्रामीणों में दहशत,वन विभाग ने जारी की सतर्कता की अपील,नुकसान का आकलन शुरू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)।
शहर से लगे खैरबार क्षेत्र में मंगलवार रात दंतैल हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आबादी वाले इलाके में घुसे हाथी ने कई घरों की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त कर दी, वहीं खेतों और बाड़ियों में लगी फसलों तथा केले के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे के बीच हाथी मछिन्दरपारा क्षेत्र में पहुंचा। अंधेरे में जब ग्रामीणों ने आबादी के बीच हाथी को देखा तो अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और दूर रहकर टॉर्च की रोशनी में हाथी की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार, हाथी ने रास्ते में आने वाले कई घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ दी। इसके अलावा खेतों में खड़ी फसल और बाड़ियों में लगे केले के पेड़ों को भी रौंद दिया। अचानक रिहायशी क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी से लोगों में पूरी रात भय का माहौल बना रहा। हाथी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने बांकी डैम,कोरिमा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वन विभाग ने अपील की है कि ग्रामीण रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, हाथी के करीब जाने का प्रयास न करें और किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल विभाग को दें। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ने से खेती और सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब वन विभाग के सामने हाथी को सुरक्षित जंगल क्षेत्र की ओर वापस भेजने और ग्रामीणों को नुकसान से बचाने की चुनौती बनी हुई है।

साइबर ठगी का नया खेल : म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार लेकिन असली साइबर गिरोह तक पहुंच नही...बड़ा सवाल

कुछ पैसों के लालच में बैंक खाते बेच रहे युवा,ठगों के लिए बन रहे मोहरे...आखिर कब पकड़े जाएंगे नेटवर्क के मास्टरमाइंड?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026
(घटती-घटना)।
साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों के बीच म्यूल अकाउंट का मामला एक बार फिर चर्चा में है। गांधीनगर थाना एवं साइबर सेल पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए म्यूल अकाउंट के खाताधारक मोहम्मद सम्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते में गेमिंग,ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं अन्य अपराधों से जुड़ी राशि प्राप्त हुई थी। खाते में एक से अधिक संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि साइबर ठगी के इस पूरे नेटवर्क में केवल खाते उपलब्ध कराने वाले लोग ही पकड़ में क्यों आते हैं,जबकि इनके पीछे बैठे असली संचालकों तक पहुंचना अब भी चुनौती बना हुआ है।

क्या है म्यूल अकाउंट और कैसे चलता है खेल? साइबर ठग सीधे अपने बैंक खाते में ठगी की रकम नहीं लेते। वे आम लोगों के बैंक खाते, मोबाइल नंबर और डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बैंक खातों को ही म्यूल अकाउंट कहा जाता है। ठग गिरोह बेरोजगार युवाओं और जरूरतमंद लोगों को कमीशन का लालच देकर बैंक खाते उपलब्ध करवाते हैं। कई बार लोग यह समझे बिना अपना खाता दे देते हैं कि उनका इस्तेमाल साइबर अपराध में हो सकता है। बाद में यही खाते ठगी की रकम को छिपाने और आगे पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं।

2430 रुपये की रकम से खुला संदिग्ध लेन-देन का मामला : पुलिस के अनुसार भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध खातों की जांच की जा रही थी। जांच में संबंधित बैंक खाता मोहम्मद सम्मी आत्मज फकरुद्दीन, निवासी बेलखरीखा थाना दरिमा के नाम से संचालित पाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त खाते में ऑनलाइन शिकायतों से संबंधित अलग-अलग राज्यों से रकम प्राप्त हुई थी। खाते में 2430 रुपये की धोखाधड़ी की राशि आने और एक से अधिक बार संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में धारा 318(4),317(4),111 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।

पूछताछ में खाता उपलब्ध कराने की बात सामने आई : पुलिस के अनुसार आरोपी मोहम्मद सम्मी को पीजी कॉलेज के पास से पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अनुज सिंह के साथ मिलकर यह काम करना बताया और खाता उपलब्ध कराने के बदले कमीशन मिलने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार इस मामले में अनुज सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

छोटे मोहरे गिरफ्त में...बड़े खिलाड़ियों पर सवाल : साइबर अपराध की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ठगी की रकम कई खातों में घूमती रहती है। शुरुआत में जिन लोगों के खाते इस्तेमाल होते हैं, वे आसानी से जांच के दायरे में आ जाते हैं,लेकिन रकम का संचालन करने वाले मुख्य आरोपी और नेटवर्क चलाने वाले लोग कई बार पर्दे के पीछे रह जाते हैं।

अब सवाल यह है...

- म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाला पूरा गिरोह कौन संचालित कर रहा है?
- कितने बैंक खाते इस नेटवर्क से जुड़े हैं?
- क्या केवल खाताधारकों की गिरफ्तारी से साइबर ठगी पर रोक लग पाएगी?
- ठगी की रकम आखिर किन-किन खातों तक पहुंची?
- क्या बड़े साइबर अपराधियों तक पुलिस की जांच पहुंच रही है?

फर्जी मोबाइल नंबर और बैंक खातों का गठजोड़ : साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल पहचान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी फर्जी मोबाइल नंबर जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल्स और म्यूल अकाउंट खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जब ऐसे खाते लगातार अपराधों में इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन्हें उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर कितनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है?

कुछ हजार रुपये के लालच में भविष्य दांव पर : कई युवा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना बैंक खाता, एटीएम या मोबाइल नंबर दूसरों को दे देते हैं। उन्हें लगता है कि केवल कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में वही खाता साइबर अपराध का माध्यम बन जाता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

साइबर अपराध रोकने के लिए पूरे नेटवर्क का खुलासा जरूरी...

गांधीनगर पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई से एक म्यूल अकाउंट धारक तक पहुंच बनी है, लेकिन साइबर ठगी के इस जाल को खत्म करने के लिए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश जरूरी है।

जांच का दायरा उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो-

- बैंक खाते खरीद-बेच रहे हैं,
- फर्जी मोबाइल नंबर उपलब्ध करा रहे हैं,
- ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में घुमा रहे हैं,
- और साइबर अपराध की पूरी योजना बना रहे हैं।

अब देखना होगा कि पुलिस की जांच केवल म्यूल अकाउंट धारकों तक सीमित रहती है या फिर साइबर ठगी के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करती है।

झारखंड पुलिस की कार्रवाई के दौरान आजीवन कारावास प्राप्त दोषी फरार!

खरसिया नाका की घटना से उठे कई सवाल

अंबिकापुर स्थित मकान

आरोपी (फाइल फोटो)

- धनबाद के चर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध है आरोपी
- झारखंड पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी पुलिस की पकड़ से निकला
- पुलिस कार्रवाई में बाधा और आरोपी को भगाने के आरोप
- झारखंड व छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने रातभर दी दबिश
- पुलिस जांच जारी, भूमिका साबित होने पर होगी कार्रवाई

बस (राजहंस) जिसका संचालन करता था

अंबिकापुर में मचा हड़कंप : आजीवन कारावास प्राप्त दोषी पुलिस की गिरफ्त से निकला...

पुलिस की गिरफ्त से कैसे निकला आजीवन कारावास प्राप्त दोषी? अंबिकापुर की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

खरसिया नाका ऑपरेशन में चूक या साजिश? पुलिस की पकड़ से निकला दोषी,जांच में कई एंगल...

झारखंड पुलिस की कार्रवाई के दौरान आजीवन कारावास प्राप्त दोषी के फरार होने का दावा,खरसिया नाका की घटना से उठे कई सवाल...

धनबाद पुलिस की दबिश के दौरान पुलिस कार्रवाई में बाधा के आरोप,देर रात तक संयुक्त सर्च ऑपरेशन,जांच के बाद ही होगी भूमिका स्पष्ट...

झारखंड पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी के फरार होने की पुष्टि,बाधा पहुंचाने वालों की भूमिका जांच के दायरे में...

संयुक्त पुलिस कार्रवाई देर रात तक जारी,तकनीकी साक्ष्यों और वीडियो फुटेज की हो रही पड़ताल...

झारखंड पुलिस ने घटना की पुष्टि की, कथित बाधा डालने वालों की पहचान और भूमिका की जांच शुरू...

-संवाददाता-
अंबिकापुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)।

झारखंड के धनबाद जिले के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त फरार दोषियों की तलाश में अंबिकापुर पहुंची झारखंड पुलिस की कार्रवाई अब पूरे सरगुजा संभाग में चर्चा का विषय बन गई है,खरसिया नाका क्षेत्र में सोमवार शाम हुई कार्रवाई के दौरान एक दोषी के पुलिस की पकड़ से निकल जाने के दावे ने कानून-व्यवस्था,अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय तथा पुलिस कार्रवाई में कथित बाधा जैसे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,घटना के बाद झारखंड पुलिस और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीमों ने देर रात तक शहर सहित कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। समाचार लिखे जाने तक फरार आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। पूरे मामले की जांच जारी है।

खरसिया नाका में हुई कार्रवाई बनी चर्चा का विषय-पुलिस सूत्रों के अनुसार झारखंड के धनबाद जिले के चर्चित वासेपुर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त दो फरार दोषियों की तलाश के क्रम में धनबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि वे लंबे समय से अंबिकापुर के खरसिया नाका क्षेत्र में रह रहे हैं,इसी सूचना के आधार पर सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे झारखंड पुलिस की एक टीम खरसिया नाका स्थित एक मस्जिद के पास पहुंची और एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्रवाई की,सूत्रों का दावा है कि आरोपी को पुलिस वाहन तक ले जाया गया था,लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद खूंखार बस संचालक एवं उसका सहयोगी बैतूल और कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया,बैतूल और उसके भाई और भतीजे सब मस्जिद से साथ में निकले...जैसे ही पुलिस ने उसे दबोच कर अपनी गाड़ी में बैठाया बैतूल और उसके परिवार के लोग पुलिस से विवाद करने लगे पुलिस की गाड़ी को घेर लिया,सूत्रों की माने तो आपस में गजब की हाथा पाई चली बैतूल गाड़ी के आगे लेट गया...पुलिस के लोग उस गाड़ी के आगे उठाने गए और इसी का फायदा उठाते हुए बाकी उसके भाई और जुनैद नामक बस संचालक खूंखार हत्यारे अपराधी को भगा दिया,भगाने वाला बस का संचालक बताया जाता है कि वहां से एसयूवी 700 में उड़ीसा भेज दिया गया है जहां पर साबिर खान का एक बेटा और बेटी रहते हैं, हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर औपचारिक बयान जारी किया गया है,यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जिले से बाहर ले जाया गया, लेकिन इस संबंध में भी पुलिस की ओर से कोई अधिकृत पुष्टि उपलब्ध नहीं है, झारखंड पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी तत्काल अंबिकापुर पुलिस को दे दी गई है तथा मामले की जांच जारी है,जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी किस प्रकार फरार हुआ,किन परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई बाधित हुई और यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन व्यवसाय और संभावित संरक्षण के पहलू की भी जांच की मांग-पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस सूत्रों के हवाले से यह चर्चा सामने आई है कि फरार दोषियों के स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से संपर्क होने की आशंका की भी जांच की जा रही है,सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या किसी व्यक्ति या समूह ने फरार दोषियों को शरण,आर्थिक सहायता अथवा अन्य प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया था,इसी क्रम में परिवहन व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी स्थानीय चर्चाओं में सामने आए हैं,हालांकि पुलिस ने अब तक किसी व्यक्ति की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही किसी के विरुद्ध इस संबंध में कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है,पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच एजेंसियां संबंधित व्यक्तियों की व्यावसायिक गतिविधियों,आर्थिक लेन-देन तथा विभिन्न संस्थानों से जुड़े अनुबंधों की भी जानकारी जुटा सकती हैं,यदि जांच के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस होती है, हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है, घटना के बाद शहर में यह मांग भी उठ रही है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा फरार दोषियों को संरक्षण देने,पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने या अवैध गतिविधियों में सहयोग करने के प्रमाण मिलते हैं, तो आयकर विभाग, जीएसटी विभाग और अन्य सक्षम एजेंसियां भी अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार जांच करें फिलहाल इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

सूत्रों का बड़ा आरोप,पुलिस जांच के बाद ही होगी पुष्टि-इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से कई गंभीर दावे भी सामने आ रहे हैं,सूत्रों का आरोप है कि फरार दोषियों के कुछ स्थानीय लोगों से लंबे समय से संपर्क रहे हो सकते हैं और इस नेटवर्क का इस्तेमाल परिवहन व्यवसाय में प्रभाव बनाए रखने के लिए किया जाता रहा,हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी जांच एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, सूत्रों का यह भी दावा है कि परिवहन व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धियों पर दबाव बनाने,उन्हें धमकाने तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने जैसी शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं,इन दावों के संबंध में भी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी न्यायालय ने ऐसे आरोपों को सिद्ध माना है, घटना के बाद अब यह मांग उठ रही है कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति ने फरार दोषियों को संरक्षण दिया, पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाई या किसी अवैध गतिविधि में सहयोग किया,तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए,अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरगुजा पुलिस इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ाती है और जांच के आधार पर क्या कार्रवाई करती है,पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इन आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सूचना पर अंबिकापुर पहुंची थी धनबाद पुलिस-पुलिस सूत्रों के अनुसार झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर क्षेत्र से जुड़े चर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध दो फरार आरोपियों के अंबिकापुर में छिपे होने की सूचना झारखंड पुलिस को मिली थी,इसी सूचना के आधार पर धनबाद पुलिस की एक टीम स्थानीय पुलिस के समन्वय से सोमवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे खरसिया नाका क्षेत्र में पहुंची, बताया जाता है कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर वाहन तक पहुंचा दिया था,इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों द्वारा पुलिस कार्रवाई का विरोध किए जाने की बात सामने आई है।

पुलिस कार्रवाई में बाधा के आरोप,जांच के बाद होगी पुष्टि-घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच कथित विवाद और हाथापाई के दौरान आरोपी के पुलिस की पकड़ से निकल जाने का दावा किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर कई लोगों के नाम चर्चा में लिए जा रहे हैं तथा यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी को जिले से बाहर भेज दिया गया,हालांकि इन सभी दावों की अभी तक पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है,पुलिस का कहना है कि उपलब्ध वीडियो फुटेज,प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है,यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने या फरार आरोपी की सहायता करने के प्रमाण मिलते हैं,तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2001 के चर्चित धनबाद दोहरे हत्याकांड से जुड़ने का दावा

पुलिस सूत्रों के अनुसार पूरा मामला 18 अक्टूबर 2001 को धनबाद में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, उपलब्ध न्यायालयीन अभिलेखों के अनुसार इस मामले में फहीम खान की मां नजमा खातून और उनकी मौसी शहनाज खातून की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,बताया जाता है कि 20 मार्च 2007 को न्यायालय ने इस मामले में कुछ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,सूत्रों का दावा है कि सजा के बाद कुछ दोषी गिरफ्तारी से बचते रहे तथा समय-समय पर उनके छत्तीसगढ़ में रहने की सूचनाएं झारखंड पुलिस को मिलती रहीं। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है।

स्थानीय संपर्कों और संभावित संरक्षण की भी पड़ताल...

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां इस पहलू की भी जांच कर रही हैं कि फरार दोषियों को स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार का संरक्षण,आर्थिक सहयोग अथवा ठिकाना उपलब्ध कराया गया था या नहीं,सूत्रों के अनुसार संभावित संपर्कों, आर्थिक गतिविधियों,आवागमन तथा परिवहन व्यवसाय से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा सकती है,हालांकि पुलिस ने किसी व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है।

झारखंड पुलिस ने घटना की पुष्टि की...

दैनिक घटती-घटना से बातचीत में झारखंड पुलिस के सब-इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने पुष्टि की कि कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस की पकड़ से निकल गया,उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी तत्काल अंबिकापुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है,जब उनसे पूछा गया कि आरोपी को भगाने वाले लोग कौन थे,तो उन्होंने कहा कि वे स्थानीय क्षेत्र के निवासी नहीं हैं,इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सके, उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई सरगुजा पुलिस के सहयोग से जारी है।

रातभर चला संयुक्त सर्च ऑपरेशन...

घटना के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीमों ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी,पुलिस सूत्रों के अनुसार अनेक लोगों से पूछताछ की गई तथा आरोपी के संभावित संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी को भागने में किसी प्रकार की सहायता मिली थी अथवा नहीं।

पुलिस कार्य में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग...

घटना के बाद शहर में यह मांग भी उठने लगी है कि यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति ने पुलिस की वैध कार्रवाई में बाधा पहुंचाई अथवा दोषसिद्ध आरोपी को फरार होने में मदद की,तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए,कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पुलिस कार्य में बाधा डालता है या आरोपी को भगाने में सहयोग करता है,तो उसके विरुद्ध अलग से आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है,हालांकि ऐसी कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी।

अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय पर भी उठे सवाल...

पूरी घटना ने अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं,यदि किसी दूसरे राज्य की पुलिस न्यायालय के आदेश के पालन में कार्रवाई करने आती है और उसके सामने आरोपी फरार हो जाता है,तो यह स्वाभाविक रूप से सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय की समीक्षा का विषय बन जाता है, पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय,पर्याप्त बल और पूर्व सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक होती है।

जांच पूरी होने के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट...

फिलहाल पूरे मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है, पुलिस उपलब्ध वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,तकनीकी साक्ष्यों तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है,समाचार लिखे जाने तक न तो झारखंड पुलिस और न ही सरगुजा पुलिस की ओर से विस्तृत प्रेस नोट जारी किया गया था,ऐसे में आरोपी के फरार होने की वास्तविक परिस्थितियां,पुलिस कार्रवाई में कथित बाधा और किसी भी व्यक्ति की संभावित भूमिका का अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

मामा के घर पढ़ाई करने आई नाबालिग लड़की लापता, सोनभद्र से बरामद,आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

-संवाददाता-
रघुनाथनगर/बलरामपुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बीजपुर क्षेत्र से बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की अपने मूल निवास उत्तर प्रदेश से करीब तीन-चार वर्षों से रघुनाथनगर क्षेत्र में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीते 26 जून 2026 की रात वह खाना खाने के बाद सोने चली गई थी। रात करीब 12 बजे से 1:30 बजे के बीच उसकी मामी की नजर पड़ी तो वह घर में मौजूद नहीं थी। परिजनों ने आसपास, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी खोजबीन की,लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद नाबालिग के मामा ने रघुनाथनगर थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला,शुरू की तलाश : शिकायत के आधार पर रघुनाथनगर थाना में अपराध क्रमांक 70/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की। जांच और पतासाजी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नाबालिग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बीजपुर क्षेत्र में है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 28 जून 2026 को उसे बरामद कर लिया।

पीड़िता के बयान के बाद आरोपी पर कार्रवाई : बरामदगी के बाद पुलिस ने नाबालिग का बयान न्यायालय के समक्ष कराया। पीड़िता ने अपने बयान में बीजपुर निवासी अभिषेक उरांव द्वारा गलत कार्य किए जाने की जानकारी दी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में अन्य आवश्यक कानूनी धाराएं जोड़ीं और आरोपी की तलाश शुरू की।

आरोपी गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल : पुलिस ने आरोपी अभिषेक उरांव पिता बहादुर उरांव,उम्र करीब 18 वर्ष 25 दिन, निवासी बीजपुर थाना बीजपुर जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) को उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया। जांच में पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को 30 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय नज़ूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/....-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका मनोज कश्यप आ0/ पति राम नरेश कश्यप व 05 अन्य जाति,निवासी देवीगंज रोड़ संगम चौक अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला देवीगंज रोड़, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1044/1,1044/2 रकबा 0.08, $0.06^{1/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक - 03/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।
जारी। आज दिनांकः-18.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

हस्तनिर्मित सामग्री प्रदर्शनी 2 से 10 जुलाई तक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)।

वसुधा महिला मंच की मासिक बैठक संरक्षिका डॉ. श्रीमती पुष्पा सोनी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मंच की संयोजिका सुश्री वंदना दत्ता ने आगामी आयोजनों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी महिलाओं द्वारा तैयार की गई हस्तनिर्मित सामग्री की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। निर्णय लिया गया कि यह प्रदर्शनी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक त्रिकोन चौक स्थित सरगुजा शिल्प में आयोजित होगी।

रेत पर सख्ती,लेकिन व्यवस्था गायब! आखिर प्रधानमंत्री आवास बनेंगे कैसे?

सोनहत में एक भी वैध रेत खदान नहीं...कार्रवाई तेज...निर्माण कार्यों पर गहराया संकट

रेत जब्त...निर्माण ठप! कानून तो बना...लेकिन समाधान कहाँ?

- अवैध उत्खनन पर कार्रवाई जारी,पीएम आवास समेत सरकारी परियोजनाओं पर मंडराया संकट...
- रेत पर डंडा,गरीब पर मार! प्रधानमंत्री आवास योजना पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल
- वैध रेत उपलब्ध कराए बिना सख्ती से विकास कार्यों पर लग सकता है ब्रेक
- न रेत खदान,न वैकल्पिक व्यवस्था... फिर कैसे बनेगा गरीब का पक्का घर?

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/सोनहत,30 जून (घटती-घटना)। नौगई घटना के बाद कोरिया जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने जिस तेजी से अभियान छेड़ा है,वह कानून के लिहाज से उचित माना जा सकता है,खनिज विभाग,वन विभाग और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शासन ने नए नियम लागू कर जुर्माने और सुरक्षा राशि को कई गुना बढ़ा दिया है, अवैध परिवहन करने वालों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जा रहा है और वाहन तक जब्त किए जा रहे हैं,लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करने से पहले यह भी सोचा कि पूरे सोनहत विकासखंड में वैध रेत मिलेगी कहाँ से? यदि पूरे क्षेत्र में एक भी अधिकृत रेत खदान संचालित नहीं है,तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत भवन,स्कूल,पुल-पुलिया,आंगनबाड़ी और आम नागरिकों के मकानों का निर्माण आखिर किस रेत से होगा? क्या सरकार केवल कार्रवाई करना चाहती है या समाधान भी देना चाहती है?

रेत रोक दी,लेकिन विकल्प देना भूल गए?

अवैध खनन रोकना सरकार का दायित्व है,लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व वैध व्यवस्था उपलब्ध कराना है,आज सोनहत की स्थिति यह है कि प्रशासन एक ओर रेत लेकर चलने वाले वाहनों को पकड़ रहा है,दूसरी ओर पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई अधिकृत स्रोत उपलब्ध नहीं है,जहां से आम नागरिक या निर्माण एजेंसियां कानूनी रूप से रेत खरीद सकें,यानी कानून तो लागू कर दिया गया,लेकिन व्यवस्था शून्य छोड़ दी गई, ऐसे में सबसे बड़ा खामियाजा उन गरीब परिवारों को भुगतना पड़ेगा,जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पहला पक्का घर बनाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

क्या प्रधानमंत्री आवास भी अब कागजों में ही बनेंगे?

सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर गरीबों को पक्का मकान देने का दावा करती है,अधिकारियों की बैठकों में निर्माण लक्ष्य तय होते हैं,प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है और समय सीमा का दबाव बनाया जाता है,लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि यदि रेत ही उपलब्ध नहीं होगी तो निर्माण कैसे होगा? क्या हितग्राही मिट्टी,पत्थर या कल्पना से मकान बनाएंगे? यदि निर्माण कार्य रुकता है तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा?

गरीब फंसा,माफिया नहीं...

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि इस सख्ती का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका अवैध कारोबार से कोई संबंध नहीं है,प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही, गांव का छोटा किसान, मजदूर या अपना घर बना रहा परिवार अब सबसे अधिक परेशान है, रेत खरीदने के लिए वैध खदान नहीं, दूसरी जगह से लाने पर कार्रवाई का डर, और निर्माण रोक देने पर योजना की समय सीमा का दबाव, यानी हर तरफ से मार केवल आम आदमी पर पड़ रही है।

सरकारी निर्माण भी सवालों के घेरे में...

केवल प्रधानमंत्री आवास ही नहीं,बल्कि पंचायत भवन,स्कूल,पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी,सीसी रोड और अन्य सरकारी निर्माण कार्य भी रेत के बिना अधर में लटक सकते हैं,यदि सरकारी विभागों के पास भी वैध रेत उपलब्ध कराने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है,तो विकास कार्यों की गति प्रभावित होना तय माना जा रहा है।

प्रशासन जवाब दे...

- पूरे सोनहत में अधिकृत रेत खदान कब शुरू होगी?
- तब तक रेत कहां से मिलेगी?
- प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई?
- क्या सरकार निर्माण कार्य रोकने की जिम्मेदारी स्वीकार करेगी?
- क्या गरीबों को केवल नियमों का पालन करना है या सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी?

कार्रवाई नहीं, समाधान चाहिए...

अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए,इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती,लेकिन यदि सरकार वैध व्यवस्था बनाए बिना केवल प्रतिबंध और दंड का रास्ता अपनाती है,तो इसका सबसे बड़ा नुकसान विकास कार्यों और गरीबों को ही उठाना पड़ेगा,कानून का उद्देश्य व्यवस्था बनाना होता है, व्यवस्था खत्म करना नहीं।

सवाल जो पूरे जिले में गूंज रहा है...

जब पूरे सोनहत में एक भी वैध रेत खदान नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास,सरकारी भवन और गरीबों के मकान आखिर किस रेत से बनेंगे? जब तक प्रशासन इस प्रश्न का ठोस उत्तर नहीं देता और वैध रेत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करता,तब तक रेत पर चल रही कार्रवाई अधूरी ही मानी जाएगी,क्योंकि केवल जब्ती और जुर्माने से विकास नहीं होता,विकास के लिए संसाधनों की वैध उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है।

सूरजपुर पुलिस की बीट व्यवस्था होगी और मजबूत, जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर...

डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने बीट प्रभारियों को दिए स्पष्ट निर्देश,गांव-वार्डों में लगेंगे मोबाइल नंबर के पोस्टर,महिला सुरक्षा और संवेदनशील पुलिसिंग पर विशेष फोकस

-संवाददाता-

सूरजपुर 30 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिस और आमजन के बीच विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस ने बीट प्रणाली को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है, इसी क्रम में जिला पंचायत सभाकक्ष में बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई,जिसमें जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों के साथ बीट प्रभारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसिंग को जमीनी स्तर तक मजबूत करना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और आम नागरिकों तक पुलिस की पहुंच को और अधिक आसान बनाना रहा। जिले के 22 थाना एवं चौकी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 558 गांवों के लिए कुल 70 बीट निर्धारित की गई हैं,कार्यशाला में डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार बीट प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कहा कि बीट व्यवस्था पुलिसिंग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी के माध्यम से पुलिस आम जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करती है, उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बीट प्रभारी अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण करें,लोगों से संवाद बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की जानकारी तत्काल एकत्रित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, उनका कहना था कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से अधिक महत्वपूर्ण अपराध की रोकथाम है, जिसके लिए बीट व्यवस्था को सक्रिय और जिम्मेदार बनाना आवश्यक है।

गांव-वार्डों में लगेंगे बीट प्रभारियों के मोबाइल नंबर-कार्यशाला के दौरान डीआईजी एवं एसएसपी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में संबंधित बीट प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाले पोस्टर लगाए जाएं,इससे आम नागरिक किसी भी समस्या, शिकायत या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सीधे अपने बीट प्रभारी तक पहुंचा सकेंगे,उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ पेशेवर,शालीन और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए,पुलिस का व्यवहार ही जनता के बीच विश्वास की सबसे बड़ी नींव है।

बीट प्रभारियों की जिम्मेदारियां की गई निर्धारित-कार्यशाला में बीट प्रभारियों के दायित्व भी स्पष्ट रूप से तय किए गए। प्रत्येक बीट प्रभारी को अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों,वारंटियों तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की अद्यतन जानकारी रखने और उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए,इसके अलावा बीट भ्रमण के दौरान कहां गए, किन लोगों से मिले, क्या जानकारी प्राप्त हुई और क्या कार्रवाई की गई,इसका दैनिक विवरण बीट बुक में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है,यह रिपोर्ट प्रतिदिन थाना प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी,जबकि संबंधित एसडीओपी प्रत्येक माह बीट बुक का निरीक्षण करेंगे।

महिला सुरक्षा और जनजागरूकता पर विशेष जोर-कार्यशाला में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए,स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास नियमित निगरानी रखने,महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी कानूनी अधिकारों की जानकारी देने तथा ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों,हाट-बाजारों और महिला समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया गया,डीआईजी एवं एसएसपी ने कहा कि बीट प्रणाली केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में सुरक्षा का वातावरण तैयार करना,बुजुर्गों की सहायता करना, महिलाओं का विश्वास जीतना और युवाओं को अपराध एवं नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करना भी है,कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन,सीएसपी बेनार्ड कुजूर,डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी,एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा,डीएसपी अजाक रीना नीलम कुजूर, डीएसपी अनूप एक्का सहित जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी तथा बीट प्रभारी उपस्थित रहे।

पुलिस-जनता के बीच भरोसा बढ़ाने की पहल

बीट प्रणाली को मजबूत करने की यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाएगी,बल्कि पुलिस और जनता के बीच संवाद,विश्वास और सहयोग को भी नई मजबूती देगी,यदि निर्धारित निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सूरजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जुआ फड़ पर दबिश,दो आरोपी गिरफ्तार 1.08 लाख का सामान जब्त

नयनपुर के बासबाड़ी क्षेत्र में चल रहा था हार-जीत का खेल,पुलिस को देखते ही कई आरोपी फरार

-संवाददाता-

सूरजपुर 30 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सूरजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम नयनपुर के बासबाड़ी क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश दी, पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ अन्य आरोपी अंधेरे और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर फरार हो गए, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नगदी, दो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन सहित कुल 1,08,335 मूल्य की संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी अभियान के तहत 28 जून 2026 को थाना सूरजपुर पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नयनपुर के बासबाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों के माध्यम से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं,सूचना की पुष्टि होने के बाद थाना सूरजपुर की पुलिस टीम स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर तत्काल मौके के लिए रवाना हुई, पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान कुछ आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ लिया,गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवराम राजवाड़े (30 वर्ष), निवासी भिरवगंज,जिला सूरजपुर तथा हितेश कुमार साहू (30 वर्ष), निवासी जयनगर, जिला कोरिया के रूप में हुई है, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं जुआ फड़ से 51,335 नकद, होंडा शाइन मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-15-CJ-2165), बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-29-2608) तथा एक ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया। जब्त की गई संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य 1,08,335 बताया गया है,पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम,2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की है,मामले में देहाती नालिशी दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की गई,चूंकि अपराध जमानतीय श्रेणी का था,इसलिए नियमानुसार सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया,सूरजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों के कारोबार तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा,पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में जुआ,सट्टा,अवैध शराब या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को सूचित करें, पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

जिला टीकाकरण अधिकारी स्वयं उतरे पल्स पोलियो अभियान में घर-घर पहुंचकर बच्चों को पिलाई 'दो बूंद जिंदगी की'

-संवाददाता-

सूरजपुर 30 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में संचालित पल्स पोलियो अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के उद्देश्य से जिला टीकाकरण अधिकारी स्वयं मैदान में उतरे और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर घर-घर पहुंचकर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की जीवनरक्षक खुराक पिलाई, इस दौरान उन्होंने अभियान की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया, निरीक्षण के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी ने विभिन्न वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के साथ-साथ अभिभावकों से संवाद कर उन्हें पोलियो उन्मूलन अभियान के महत्व से अवगत कराया, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की दो बूंद पहुंचाना केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं,बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को हर बार पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी बच्चा इस जीवनरक्षक दवा से वंचित न रहे, उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम नियमित रूप से पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को दवा पिलाना है, अभियान के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी ने घरों पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे चिन्हांकन (मार्किंग) कार्य का भी निरीक्षण किया तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए, उन्होंने टीमों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी घर या पात्र बच्चा छूटने न पाए तथा सभी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के साथ ही अभिभावकों को नियमित टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य एवं पोलियो उन्मूलन के संबंध में भी जागरूक किया। टीमों ने लोगों को बताया कि समय पर टीकाकरण कराने से बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी कारणवश कोई बच्चा पल्स पोलियो अभियान के दौरान दवा लेने से वंचित रह गया हो, तो वे तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर उसे पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाएं, अधिकारियों ने कहा कि सभी के सहयोग से ही जिले को पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

नौगई तिहरे हत्याकांड: 19 जुलाई तक न्याय नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन!

किसी को जिंदा जलाना क्रूरतम अपराध, दोषियों को मिले फांसी या एनकाउंटर की सजा: करणी सेना

19 जुलाई तक न्याय नहीं मिला तो देशभर के क्षत्रिय करेंगे आंदोलन : डॉ. राज शेखावत

नौगई तिहरे हत्याकांड : 19 जुलाई तक सरकार को अल्टीमेटम,न्याय नहीं तो होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन

- नौगई हत्याकांड पर करणी सेना का बड़ा ऐलान,19 जुलाई को नौगई में जुटेंगे देशभर के क्षत्रिय
- मृतक मेरे भाई,उनके कातिल अभी भी जिंदा हैं...बैकुंठपुर में गूंजे न्याय के नारे
- 19 जुलाई तक न्याय नहीं तो देशभर से कोरिया पहुंचेंगे क्षत्रिय,करणी सेना ने सरकार को दी चेतावनी
- डॉ. राज शेखावत बोले...जिंदा जलाकर हत्या करने वालों में कानून का भय नहीं, दोषियों को कठोरतम दंड दिलाने की मांग, पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई पर भी उठाए सवाल।

-रवि सिंह-

कोरिया,30 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून की दरमियानी रात हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर अब सामाजिक आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है,मृतकों की तेरहवीं के अवसर पर बैकुंठपुर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 19 जुलाई तक पीड़ित परिवार को न्याय की दिशा में ठोस परिणाम नहीं मिले,तो नौगई में विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देशभर से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल होंगे, डॉ. शेखावत ने कहा कि नौगई की घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं,बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है,उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देना और एक ही परिवार के पांच लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करना अत्यंत क्रूरतम अपराध है,ऐसे अपराध को अंजाम देने वालों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है और यदि ऐसे मामलों में भी त्वरित एवं कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो समाज का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा।

मृतक मेरे भाई हैं,उनके कातिल अभी भी जिंदा हैं के नारों से गूंजा बैकुंठपुर

तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने मृतक मेरे भाई हैं, उनके कातिल अभी भी जिंदा हैं, भाइयों हम शर्मिंदा हैं' और न्याय की मांग से जुड़े नारे लगाए,पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल भावुक बना रहा और कई लोग मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते नजर आए,डॉ. शेखावत ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने तीन सदस्यों को खो दिया,उनके दर्द की भरपाई कोई नहीं कर सकता, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए,महिलाओं ने अपने पति खो दिए और पूरा परिवार आज भी भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है।

सरकार के पास 19 जुलाई तक का समय

डॉ. राज शेखावत ने कहा कि करणी सेना सरकार और प्रशासन को 19 जुलाई तक का समय दे रही है,उन्होंने कहा कि इस अवधि के भीतर आरोपियों के विरुद्ध ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे उन्हें न्यायालय से कठोरतम दंड मिल सके, साथ ही पीड़ित परिवार की अन्य प्रमुख मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए,उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा तक न्याय की दिशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई,तो 19 जुलाई को नौगई में विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी,इस सभा में देशभर के क्षत्रिय समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और आगे की रणनीति वहीं तय की जाएगी,उन्होंने कहा कि वे स्वयं देशभर के समाज के लोगों से संपर्क कर उन्हें कोरिया आने का आह्वान करेंगे।

जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया...उन्हें कानून का डर नहीं...

अपने संबोधन में डॉ. शेखावत ने कहा कि जिस समाज में अपराधी खुलेआम किसी व्यक्ति को जिंदा जलाने का दुस्साहस कर दें,वहां यह माना जाएगा कि अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है,उन्होंने कहा कि नौगई में एक नहीं बल्कि तीन लोगों की दर्दनाक मौत हुई और दो अन्य आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं,यह केवल हत्या का मामला नहीं बल्कि समाज को भयभीत करने वाली घटना है,उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों में सामान्य कार्रवाई नहीं बल्कि विशेष संवेदनशीलता और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई पर भी उठाए सवाल...

डॉ. शेखावत ने अपने संबोधन में घटना के शुरुआती दौर में पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर जिस प्रकार घटना को संभावित शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली के तारों से आग लगने जैसी आशंका से जोड़कर प्रस्तुत किया गया,उसने समाज के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न की, उन्होंने कहा कि बाद में जब हत्या और हिंसा के तथ्य सामने आए तो प्रारंभिक बयान और वास्तविक घटनाक्रम के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया,उनके अनुसार इस पूरे पहलू की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शुरुआती सूचना किन परिस्थितियों में और किन तथ्यों के आधार पर जारी की गई थी,उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभिक प्रेस ब्रीफिंग में विधिक धाराओं के उल्लेख को लेकर भी सवाल उठे थे,ऐसे सभी तथ्यों की विभागीय स्तर पर समीक्षा होना आवश्यक है,जिससे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में तथ्यात्मक और जिम्मेदार सूचना ही सार्वजनिक की जाए।

कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग...

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि घटना के दौरान और उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर समाज में संदेह की स्थिति बनी हुई है,उन्होंने मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष विभागीय जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कर्तव्य में शिथिलता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

सीबीआई जांच और फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग दोहराई

डॉ. शेखावत ने कहा कि पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगों–सीबीआई जांच,फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई,गवाहों की सुरक्षा और दोषियों को कठोर दंड–पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। उनका कहना था कि यदि विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो समाज में असंतोष और बढ़ेगा।

नौगई अब केवल एक गांव नहीं, न्याय की लड़ाई का प्रतीक

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समाज के लोगों का कहना था कि नौगई की घटना अब केवल एक गांव या एक परिवार तक सीमित नहीं रह गई है, यह न्याय,सुरक्षा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा मुद्दा बन चुका है लोगों ने कहा कि यदि इतने जघन्य अपराध के बाद भी न्याय में देरी होती है, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा।

अब 19 जुलाई पर टिकी निगाहें...

तेरहवीं संस्कार के बाद अब पूरे मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 19 जुलाई माना जा रहा है,यदि तब तक सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेते हैं तो स्थिति बदल सकती है,वहीं यदि ऐसा नहीं होता,तो करणी सेना द्वारा प्रस्तावित श्रद्धांजलि सभा और उसके बाद की रणनीति इस मामले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना सकती है।

13 दिन बाद भी आर्थिक सहायता नहीं,आखिर इतनी बड़ी घटना में सरकारी राहत कहां है?

तीन लोगों की मौत,दो अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे...मुआवजे की घोषणा नहीं होने पर उठने लगे सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,30 जून 2026 (घटती-घटना)। नौगई तिहरे हत्याकांड में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई,जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अब भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं,घटना को 13 दिन बीत चुके हैं और मृतकों का तेरहवीं संस्कार भी संपन्न हो चुका है,लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए किसी विशेष आर्थिक सहायता या मुआवजे की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है,यही कारण है कि अब पीड़ित परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बीच भी यह सवाल उठने लगा है कि इतनी बड़ी और जघन्य घटना में सरकारी राहत आखिर कहां है?

नौगई हत्याकांड को कोरिया जिले की सबसे गंभीर आपराधिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है, आरोप है कि एक ही परिवार के पांच लोगों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तथा हरसंभव सहायता और न्याय का भरोसा दिलाया गया, इसके बावजूद अब तक आर्थिक सहायता के संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नहीं होने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है,पीड़ित परिवार का कहना है कि न्याय की लड़ाई अपनी जगह है,लेकिन परिवार के सामने आर्थिक संकट भी कम नहीं है,तीन कमाऊ सदस्यों की मृत्यु के बाद परिवार की आजीविका प्रभावित हुई है,वहीं दो घायलों के इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है,ऐसे में सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की अपेक्षा स्वाभाविक है,स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं,सड़क दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर घटनाओं में शासन द्वारा कई बार तत्काल राहत राशि या मुआवजे की घोषणा की जाती रही है,ऐसे में नौगई जैसी जघन्य वारदात,जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा,उसमें अब तक राहत राशि की घोषणा नहीं होना कई सवाल खड़े करता है,अब चर्चा इस बात की है कि यदि शासन-प्रशासन लगातार यह कह रहा है कि वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, तो उस सहयोग का स्वरूप केवल आश्वासन तक सीमित क्यों दिखाई दे रहा है? क्या मृतकों के आश्रितों और घायलों के लिए किसी विशेष सहायता पैकेज पर विचार किया जा रहा है? यदि हां,तो उसकी घोषणा कब होगी? और यदि नहीं,तो आखिर इतनी बड़ी घटना के बावजूद राहत राशि को लेकर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया? पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी पहली मांग निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की है,लेकिन इसके साथ-साथ सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी उतनी ही आवश्यक है,उनका मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो सकती है,लेकिन तत्काल राहत परिवार को वर्तमान संकट से उबरने में मदद कर सकती है,इसलिए वे शासन से मांग कर रहे हैं कि मृतकों के आश्रितों तथा गंभीर रूप से घायलों के लिए शीघ्र आर्थिक सहायता एवं मुआवजे की घोषणा की जाए, ताकि सरकार का संवेदनशील पक्ष भी सामने आ सके।

प्रांतीय सम्मान समारोह में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग हुए सम्मानित

संगठन में सक्रिय योगदान और समाज सेवा के लिए मिला सम्मान, नव-निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य करने का किया आह्वान

-संवाददाता-

सूरजपुर,30 जून 2026 (घटती-घटना)। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन (छत्तीसगढ़) की प्रांतीय कार्यकारिणी के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान किया गया,कार्यक्रम में संगठन के विकास, समाज सेवा और संगठनात्मक गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की गई, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल उपस्थित रहे,जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन (छत्तीसगढ़) के प्रांतीय अध्यक्ष किशन अग्रवाल ने की,कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना टिबरेवाल रहीं, मंच पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों,विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में समाजजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग (सूरजपुर) को संगठन के प्रति उनकी सक्रिय भूमिका,समर्पित कार्यशैली तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री गर्ग ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताते हुए संगठन के सभी वरिष्ठजनों,प्रांतीय अध्यक्ष,मुख्य अतिथि,पदाधिकारियों,कार्यकारिणी सदस्यों एवं आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है,बल्कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता

की निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना का सम्मान है, उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से ही संभव होती है और सभी का सहयोग ही सम्मेलन की सबसे बड़ी शक्ति है, मुकेश गर्ग ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि प्रांतीय कार्यकारिणी के सफल कार्यकाल के बाद पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित करना अपने आप में एक सकारात्मक और प्रेरणादायी पहल है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है तथा उन्हें समाज और संगठन के लिए और अधिक सक्रिय होकर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन की रीति-नीति एवं उद्देश्यों के अनुरूप नव-निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष रामवतार अग्रवाल के नेतृत्व में एकजुट होकर समाज सेवा,राष्ट्रहित तथा सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संगठन आने वाले समय में समाज के हित में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा, कार्यक्रम का समापन संगठनात्मक एकता, सामाजिक सद्भाव और सेवा के संकल्प के साथ हुआ।

मेकर्स ने फिल्म के चक्कर में अपनाई थी डरावनी रणनीति

एक्ट्रेस को आए थे 20 से 25 फोन

90 के दशक में अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए मेकर्स ने एक्ट्रेस की मौत के झूठी अफवाह उड़ाई थी, जिसकी वजह से उनके परिवारवाले और फैंस चिंतित हो उठे थे।

कई बार मेकर्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वह एक्टर की अनुमति लेना भी जरूरी नहीं समझते।

90 के दशक की एक एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब अपनी फिल्म के चक्कर में मेकर्स ने एक एक्ट्रेस को लगभग मार ही दिया था। इस बात का खुलासा कई सालों के बाद खुद अभिनेत्री ने किया था।

कौन थीं वह एक्ट्रेस जिनकी 90 के दौर में मेकर्स ने उड़ा दी थी मौत की झूठी खबर और आए थे उन्हें 20 से 25 फोन, नीचे पढ़ें उनकी कहानी।

जीते जी इस एक्ट्रेस की छपी थी मरने की खबर

90 के दशक की जिस एक्ट्रेस की झूठी मौत की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थीं, वह कोई और नहीं, बल्कि शिल्पा शिरोड़कर हैं। पिंकविला से बातचीत के दौरान एक पुराने इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया था कि एक अखबार ने गलती से नहीं, फिल्म फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में उनकी मौत की खबर उड़ा दी थी, जिससे उनके चाहने वाले घबरा गए थे, यह घटना उनके साथ रघुवीर की शूटिंग के दौरान हुई थी। जिस वक्त शिल्पा को लेकर यह खबर आई थी, उस समय वह सुनील शेट्टी के साथ कुल्लू मनाली में शूटिंग कर रही थी। क्योंकि वह दौर सोशल मीडिया का नहीं था,ऐसे में खबरों को कन्फर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिल्पा ने कहा, मुझे लेकर यह खबर छपी थी कि मुझे गोली मार दी गई है।÷ एक्ट्रेस ने बताया कि इस खबर ने उनके परिवारवालों को भी परेशान कर दिया था।

होटल में पिता लगातार फोन कर रहे थे...

शिल्पा शिरोड़कर ने आगे बताया,खबर सामने आने के बाद मेरे पिता लगातार होटल में फोन कर रहे थे। जब मैं रूम में आई तो देखा कि 20 से 25 मिस्ड कॉल हैं। सब घबराए हुए थे, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह सिर्फ फिल्म के प्रचार के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट हैं और ये खबर मेकर्स ने उड़ाई थी। शिल्पा ने घटना को याद करते हुए कहा,ये मेकर्स की तरफ से कुछ ज्यादा ही हो गया था, उन्होंने ये गंदी रणनीति अपनाई थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भनक नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने की अनुमति उनसे नहीं ली गई थी। हालांकि, उस दौर में फिल्मों को प्रमोट करने का कोई और तरीका नहीं था, लेकिन इस तरह से फिल्म सफल रही, जिसकी वजह से मैंने मामले को ज्यादा बढ़ाया नहीं। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म रघुवीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसमें शिल्पा शिरोड़कर के अपोजिट सुनील शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

इन्फ्लुएंसर को बाहों में भर रोमांस में डूबे राघव जुयाल

अभिनेता की वायरल फोटोज देख यूजर्स बोले-भाभी मिल गई

राघव जुयाल की रोमांटिक फोटोज ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। वह इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस को बाहों में भर रोमांस में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद फैंस उन्हें टीज कर रहे हैं।

डांस से लेकर एक्टिंग में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले राघव जुयाल फैंस के फेवरेट सेलेब्रिटी हैं। किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले राघव जुयाल आए दिन किसी न किसी कारणवश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन ही जाते हैं। बीते दिनों नानी स्टारर साउथ फिल्म पैराडाइज से अभिनेता का विक्रम के रूप में खतरनाक लुक वायरल हुआ था और अब राघव जुयाल की लव लाइफ सोशल मीडिया पर छा चुकी है। अभिनेता की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखने के बाद

फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं।

इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे हैं राघव जुयाल?

राघव जुयाल की इंटरनेट पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं,उसे इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस निहारिका ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए एक्टर को टैग किया है। पहली फोटो में जहां वह निहारिका रेड कलर के स्वेटर में बैठी हैं और राघव जुयाल ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उन्हें बाहों में भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी फोटो में दोनों मस्ती के मूड में दिखाई दिए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए निहारिका ने कैप्शन में सिर्फ हार्ट वाला इमोजी बनाया। हालांकि,इस फोटो को देखकर फैन इस दुविधा में जरूर हैं कि इन फोटो केजरिए अभिनेता अपनी लव लाइफ का खुलासा कर रहे हैं या फिर ये उनकी कोई अपकमिंग फिल्म से जुड़ा पोस्ट है।

रफ्तार और आशीष चंचलानी के कमेंट ने बाई बेताबी

राघव के फैंस की इस बेताबी को बढ़ाने का काम किया है आशीष चंचलानी और रैपर रफ्तार के कमेंट ने। जहां रफ्तार ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा,जे बात लाडले और उसके साथ चार नजर वाले इमोजी लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष चंचलानी ने भी इमोजी पोस्ट किए। शहनाज गिल ने भी कमेंट बॉक्स में बेस्ट। पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए कई यूजर्स भी राघव को टीज करते हुए दिखाई दिए। एक यूजर ने लिखा,लगता है भाभी मिल गई हमारी। दूसरे यूजर ने लिखा,भैया को लगता है प्यार हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राघव जुयाल का नाम अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ भी जुड़ चुका है।

ईथा का दमदार टीजर जारी,विठाबाई नारायण गांवकर बनकर तहलका मचाने आईं श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर को आखिरी बार ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 (2024) में देखा गया था। अब वह अपनी बहुचर्चित फिल्म ईथा के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर पहली बार शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। अब निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर ईथा का टीजर यूट्यूब पर जारी कर दिया है। इसमें अभिनेत्री पहली बार बिल्कुल अलग किरदार में दिखी हैं।टीजर की शुरुआत भावनात्मक और चौंकाने वाले क्षण से होती है। तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के रूप में, श्रद्धा स्टेज के पीछे अकेले नवजात को जन्म देती हैं और अगले ही लावणी की तैयारी में लग जाती हैं। वह कहती हैं, पड़े पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। फिल्म का टीजर बेहद दमदार है। रणदीप हुड्डा और जीशान अय्यूब भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर में श्रद्धा कपूर की गंभीर अभिव्यक्ति, देहाती परिवेश

और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। फिल्म 'ईथा' महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है। विठाबाई को तमाशा कला की दुनिया का बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और अद्भुत प्रतिभा के दम पर लोक कला को नई पहचान दिलाई थी। फिल्म में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाएगा, जिसमें कला के प्रति समर्पण, सामाजिक चुनौतियां और व्यक्तिगत संघर्ष प्रमुख रूप से शामिल हैं।

फिल्म की पहली झलक से साफ है कि श्रद्धा कपूर ने इस किरदार के लिए काफी मेहनत की है। उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज और भाव-भंगिमाओं में एक लोक कलाकार की छवि साफ नजर आती है। लंबे समय बाद श्रद्धा किसी ऐसी बायोपिक का हिस्सा बनी हैं, जिसमें उन्हें अपने अभिनय की नई परतें दिखाने का मौका मिलेगा। दर्शकों को इस फिल्म में उनका एक परिपक्व और भावनात्मक रूप देखने को मिल सकता है।

श्वेता तिवारी ने रेड ड्रेस में बिखेरा जलवा,स्माइल से लूट लिया करार

श्वेता तिवारी सिर्फ एक एक्टिव और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं। उनके फैशन सेंस में सिंपल और एलिगेंट का परफेक्ट मिक्स नजर आता है जो हर मौके पर उनके लुक को परफेक्ट बनाता है। चाहे रैड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, श्वेता हमेशा अपनी स्टाइल और ग्रेस से लोगों को इंप्रेस करती हैं। उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये साफ दिखाई देता है कि वो फैशन और परफॉर्मेंस दोनों में बराबर एक्सील करती हैं। श्वेता तिवारी हमेशा से ही अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए फैंस के बीच काफी पॉपुलर रही हैं। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनका लुक देखते ही बनता है। श्वेता रेड कलर की लेयर्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं जो उनके स्टाइल और ग्रेस को और निखार रही है। ड्रेस की फ्लोइंग लेयर्स उनके मूवमेंट के साथ खूबसूरती से झूल रही हैं और उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टाइल उन्हें मॉडर्न और क्लासिक दोनों तरह का लुक दे रहा है। उन्होंने अपने लुक को गोल्डन ईयररिंग्स और पेस्टल हील्स के साथ कंप्लीट किया है जो उनकी पर्सनालिटी को और हाईलाइट कर रहे हैं। उनके बाल खुले और सॉफ्ट वेव्स में सेट हैं,जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखारते हैं। उनके नेचुरल पोज ने तस्वीर को और भी खास बना दिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी और धीरे-धीरे खुद को टॉप टीवी एक्ट्रेस बन गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान कसौटी जिंदगी की की प्रेरणा के रूप में मिली, जहां उन्होंने प्रीति का रोल निभाया। इसके अलावा श्वेता ने कई रियलिटी शो जैसे कि खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा में नजर आई थी। टीवी सीरियल्स के अलावा,उन्होंने वेब शोज और प्रिंट कमर्शियल्स में भी अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है।

इक्का में सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच सबसे बड़ी जंग

बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकार सनी देओल और अक्षय खन्ना जल्द ही एक धमाकेदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में आमने-सामने नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने उनकी आगामी फिल्म इक्का का एक बेहद दमदार और नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके साथ ही फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना और सनी देओल के कड़क अंदाज से सजी ये फिल्म किस दिन दर्शकों के बीच आएगी।

सनी और अक्षय पूरे 29 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं। नेटफ्लिक्स ने अब फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 10 जुलाई को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह फिल्म एक

दमदार और कड़क कानूनी ड्रामा है। इसकी कहानी में कोर्ट के अंदर होने वाली आम बहसों के बजाय किरदारों की सोच, उनके सही-गलत के फैसलों और मन में चलने वाली कशमकश को दिखाया गया है।सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन और अल्केमी फिल्म्स के बैनर तले बनी इक्का से सनी देओल ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर वह अपने दमदार अंदाज में लौटेंगे,लेकिन इस बार कहानी कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है। फिल्म में तिलोत्तमा शोम और दीया मिर्जा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। इक्का एक बड़ी कानूनी लड़ाई की कहानी है, जिसमें विचारधाराओं का टकराव, सही-गलत का द्वंद्व और किरदारों का अतीत आपस में जुड़ा हुआ है।

खेल समाचार

जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की सबसे बड़ी टेस्ट जीत

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने दमखम दिखाते हुए अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है...हरारे में यह ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया...

हरारे,30 जून 2026। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मुकाबले में जिबाब्वे ने दमखम दिखाते हुए अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 30 जून की तारीख जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बेहद खास हो गई है। हरारे में खेले गए इस मैच में इनोसेंट काया ने खूंटागाड़ बल्लेबाज की, उनकी 140 रन की पारी के बूते जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 410 रन बना दिए। जिसकी बराबरी बांग्लादेश से 2 पारियों में भी नहीं हुई। इस हार ने एक बार फिर बांग्लादेश के क्रिकेट पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

पहली पारी में ढ़ेर बांग्लादेश

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में पूरी तरह से जिम्बाब्वे का दबदबा देखने को मिला। मेजबान कप्तान रिचर्ड नगरावा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यमैन न्यामहुरी के 4 विकेट के चलते बांग्लादेश की पारी सिर्फ 140 के

स्कोर पर सिमट कर रह गई। मोनिमुल हक के 60 रन नहीं आते तो 100 रन का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो सकता था।

इनोसेंट काया की 140 रन की पारी

जिम्बाब्वे की बैटिंग आई तो सलामी बल्लेबाज इनोसेंट काया ने 140 रन बना डाले। निचले क्रम में ब्रायन बेनेट (59), क्रेग एरविन (60) और वेस्ले मधेवेरे (77) के दम पर टीम संयुक्त रूप से 410 के स्कोर तक पहुंची। दूसरी पारी में 270 रन की बढ़त का पीछा करने के लिए उतरी बांग्लादेश 185 रनों के भीतर ही सिमट कर रह गई। अबकि बार ब्लेसिंग मुजारबानी 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। जिहाजा जिम्बाब्वे ने पारी और 85 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

जिम्बाब्वे की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत

जिम्बाब्वे की टीम मौजूदा समय में सबसे फुल मेंबर देशों में सबसे कमजोर टीमों में गिनी जाती है। आईसीसी रैंकिंग के अनुसार बांग्लादेश 8वें तो जिम्बाब्वे 10वें स्थान पर है। जिम्बाब्वे के लिए यह टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ पारी और 73 रन से बाजी मारी थी। वहीं 31 साल पहले यानि 1995 में पाकिस्तान के सामने पारी और 64 रन से जीत अपने नाम की थी। नीचे दी गई तालिका में आप जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत की सूची देख सकते हैं।

वर्ल्ड कप निराशा के बावजूद हरमनप्रीत को बड़ी जिम्मेदारी,एशियन गेम्स टीम का ऐलान

नई दिल्ली,30 जून 2026। एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, खराब प्रदर्शन के बाद भी हरमनप्रीत कौर पर बीसीसीआई ने जताया भरोसा आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उम्मीद के मुता बिक प्रदर्शन न कर पाने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कप्तान हरमनप्रीत कौर पर अपना विश्वास बरकरार रखा है। आगामी टूर्नामेंट्स को देखते हुए बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए हरमनप्रीत की कप्तानी को हरी झंडी दे दी है। इसी क्रम में जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसकी कमान एक बार फिर अनुभवी खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही सौंपी गई है।

डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी भारतीय टीम

इस बार एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में होने जा रहा है। भारतीय महिला ब्रिगेड इस बड़े मंच पर डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर कदम रखेगी,जिससे टीम पर अपने खिताब को बचाने की दोहरी जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि साल 2023 में चीन के हांगझोऊ में खेले गए एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

टी 20 फॉर्मेट में दिखेगा रोमांच

एशियन गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांच एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोलेगा। इस महाकुंभ में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों के क्रिकेट मुकाबले फटाफट क्रिकेट यानी टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप की कमियों को पीछे छोड़कर भारतीय महिला टीम अब जापान की धरती पर अपने पुराने गौरव को दोहराने और देश की झोली में एक और गोल्ड मेडल डालने के इरादे से मैदान पर उतरेगी

CMYK

नौगई तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट
अब CBI करेगी जांच
छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना

लगातार उठ रही मांग पर लगी मुहर

निष्पक्ष जांच की उम्मीद को मिला आधार

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
-0-
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक30-06-2026

File No.:GENCOR-35/5403/2025-HOME SECTION :: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(अधिनियम 25 सन 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, थाना - सोनहत, जिला - कोरिया, छत्तीसगढ़, कीरिया में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 धारा [illegible], 126(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं अपराध क्रमांक 66/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), [illegible], [illegible], 324, 103(1), 326(जी) भारतीय न्याय संहिता के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(अमर.पी. मोहन)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

- सीबीआई जांच को मंजूरी
- निष्पक्ष जांच की उम्मीद
- सरकार की अधिसूचना जारी
- सोनहत के अपराध क्रमांक 65/2026 व 66/2026

नौगई हत्याकांड : सीबीआई जांच को मिली मंजूरी, अब खुलेगा हर राज ?

आखिरकार सीबीआई के हवाले हुआ नौगई तिहरा हत्याकांड

13 दिन बाद बड़ा फैसला, नौगई हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी

राज्य सरकार ने दी अनुमति, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को मिला जांच का अधिकार

13 दिन बाद बड़ा फैसला,नौगई हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी...

गृह विभाग की अधिसूचना जारी, पीड़ित परिवार की प्रमुख मांग हुई पूरी

अधिसूचना जारी होने के बाद निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ी...

सीबीआई के हाथों में पहुंची नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच...

-रवि सिंह-

कोरिया/रायपुर 30 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16 और 17 जून की दरमियानी रात हुए बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में आखिरकार वह निर्णय सामने आ गया,जिसका पीड़ित परिवार, सामाजिक संगठन और क्षेत्र के लोग पिछले लगभग दो सप्ताह से इंतजार कर रहे थे, छत्तीसगढ़ शासन के गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने मंगलवार 30 जून को अधिसूचना जारी कर इस मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) को छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया है,इसके साथ ही अब नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है,गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत थाना सोनहत,जिला कोरिया के अपराध क्रमांक 65/2026 एवं अपराध क्रमांक 66/2026 की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है,यह अधिसूचना राज्य शासन की सहमति के बाद जारी की गई है।

13 दिनों से लगातार उठ रही थी सीबीआई जांच की मांग-नौगई हत्याकांड के बाद से ही मृतकों और घायलों के परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें स्थानीय जांच एजेंसी पर पूर्ण विश्वास नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही कर सकती है,परिजनों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री,राज्यपाल,पुलिस महानिदेशक सहित अनेक संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की थी,परिवार का कहना था कि घटना केवल हत्या तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है, परिजनों ने पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई,कुछ अधिकारियों की भूमिका,आरोपियों के कथित आत्मसमर्पण,घटना से पहले मिली सूचनाओं तथा अन्य परिस्थितियों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी।

'दैनिक घटती-घटना' लगातार उठाता रहा निष्पक्ष जांच का मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दैनिक घटती-घटना ने भी मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया,समाचार पत्र ने सीबीआई जांच की मांग,विभागीय जांच,पुलिस अधिकारियों की भूमिका,पीड़ित परिवार की शिकायतें,सामाजिक संगठनों के आंदोलन,न्याय यात्रा,आर्थिक सहायता,फास्ट ट्रैक कोर्ट,गवाहों की सुरक्षा सहित मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया,समाचार पत्र ने विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से यह भी प्रश्न उठाया था कि इतने संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है,अब शासन द्वारा जारी अधिसूचना के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।

क्या-क्या जांच सकती है सीबीआई?

सीबीआई जांच शुरू होने के बाद एजेंसी पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक प्रत्येक पहलू की स्वतंत्र विवेचना कर सकती है,जांच के दौरान घटनास्थल,फोरेंसिक साक्ष्य,इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड,कॉल डिटेल,डिजिटल साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,पुलिस की कार्रवाई,आरोपियों की भूमिका तथा अन्य सभी परिस्थितियों का पुनः परीक्षण किया जा सकता है,यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी की भूमिका सामने आती है,तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी कर सकती है।

पीड़ित परिवार को अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद

अधिसूचना जारी होने के बाद पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और वास्तविक घटनाक्रम सामने आएगा,परिजनों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं,बल्कि न्याय के लिए है,उनका मानना है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होने से समाज में भी न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा, परिजनों ने यह भी कहा कि उनकी अन्य मांगेंफास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, गवाहों की सुरक्षा, दोषियों को कठोर सजा,आर्थिक सहायता और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आए तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अब भी यथावत हैं।

पूरे प्रदेश की निगाहें अब सीबीआई की जांच पर...

नौगई तिहरे हत्याकांड प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो चुका है,तीन लोगों की दर्दनाक मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने वाली इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अब जबकि राज्य शासन ने सीबीआई को जांच का अधिकार दे दिया है,पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच एजेंसी कितनी जल्दी विवेचना शुरू करती है और इस बहुचर्चित मामले में किन-किन तथ्यों को सामने लाती है,राजनीतिक दलों,सामाजिक संगठनों,व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों के बीच भी अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि स्वतंत्र जांच एजेंसी की जांच से मामले के हर पहलू का निष्पक्ष खुलासा होगा और दोषियों के साथ-साथ यदि किसी स्तर पर लापरवाही या संरक्षण की भूमिका रही होगी तो वह भी जांच के दायरे में आएगी, इस अधिसूचना के साथ नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है, अब यह केवल पुलिस विवेचना का मामला नहीं रह गया,बल्कि देश की प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों में पहुंचने के बाद इस पूरे प्रकरण से जुड़े हर पहलू पर नई दृष्टि से जांच होने की संभावना बन गई है।

रिटायरमेंट से पहले शिक्षिका को हाईकोर्ट से राहत,आज 11 बजे तक ज्वाइनिंग देने का आदेश

बिलासपुर,30 जून 2026। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले एक शिक्षिका के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए शासन और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि उन्हें आज सुबह 11 बजे तक पदोन्नत पद पर नए विद्यालय में ज्वाइनिंग कराई जाए।

याचिकाकर्ता मीना सिंह पहले अंबिकापुर विकासखंड के पूर्व माध्यमिक शाला बंधियाचुआ में पदस्थ थीं। विभाग ने उनका पदोन्नयन कर लखनपुर विकासखंड के पूर्व माध्यमिक शाला बंधा में पदस्थापना का आदेश जारी किया था। हालांकि, उन्हें मूल विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया, लेकिन अंबिकापुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) द्वारा तकनीकी रूप से रिलीव नहीं किए जाने के कारण वह नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। इस कारण उनका पदोन्नयन प्रभावित हो रहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की एकलपीठ में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीना सिंह को 30 जून को सुबह 11 बजे तक हर हाल में पूर्व माध्यमिक शाला बंधा, विकासखंड लखनपुर में पदोन्नत पद पर ज्वाइनिंग की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को भी निर्देश दिया कि आदेश की आधिकारिक सूचना उसी दिन दोपहर 2:15 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रशासन को भेजी जाए, ताकि तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, कोर्ट ने आदेश के पालन की निगरानी के लिए मामले को 30 जून को दोबारा सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह पालन हुआ है।

कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न
आखिरी दिन राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने दिया व्याख्यान

रायपुर,30 जून 2026। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर 10वें दिन संपन्न हुआ। अंतिम दिन कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेरा ने देश के समसामयिक मुद्दों, केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और भाजपा-आरएसएस पर व्याख्यान दिया। उन्होंने नीट परीक्षा की धांधली, देश भर में फैली महंगाई तथा मोदी सरकार की विदेश नीति पर व्याख्यान दिया। पवन खेरा ने कहा कि पाकिस्तान, चाईना, अमेरिका, बांग्लादेश सभी भारत को आंख दिखाते है।

कांग्रेस सरकार के समय भारत की जो विदेश नीति थी उससे देश का सर गर्व से ऊंचा होता था, मोदी खुद को विश्वगुरू बनने की बात करते है। कांग्रेस की सरकारों ने देश को विश्वगुरू बनाने के लिए काम किया। आज मोदी सरकार रोजगार, विदेश नीति,महंगाई,आंतरिक सुरक्षा सभी में विफल साबित हुई है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जिला अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सभी जिला अध्यक्ष को दिया। समापन के अवसर पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव,प्रभारी सचिव एस.ए. संपत कुमार, जरिता लैतफ्लांग, विजय जांगिड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू,प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला तथा विभिन्न कमेटियों के सदस्यगण उपस्थित थे। प्रशिक्षण शिविर के 10 दिनों के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल,प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लाम्बा,कांग्रेस कनेक्ट सेन्टर के प्रभारी शशिकांत सेंथिल और राष्ट्रीय सचिव वामची रेड्डी,सौरभ वाजपेयी,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव,पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू,कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा, आलोक शुक्ला,अमीन मेमन,भानुप्रताप सिंह ने भी व्याख्यान दिया। जिला अध्यक्ष गण दो दिन विभिन्न गांव में फील्ड विजिट किये तथा श्रमदान किये।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)